Title: Further discussion on the statement made by the Minister of Home Affairs regarding deportation of certain people by Maharashtra Government raised by Shri Hannan Mollah on the 3rd August, 1998 .(Not Concluded) 11.50 hrs.

MR. SPEAKER: The House will now take up the next item. Shri Somnath Chatterjee to speak.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, I congratulate Shri Hannan Mollah and Shrimati Geeta Mukherjee for raising this important issue for which many hon. Members had given notices. I consider it as one of the most important issues that we are discussing in the House. The issue is important not because we are treating it as a question of only the Bengali-speaking people...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, I am on a point of information. As per the List of Business, at Twelve of the Clock, we have to take the discussion regarding problems of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes...(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : It is not yet Twelve of the Clock.

SHRI RAM NAIK: Now, it is exactly Twelve of the Clock. I thought that I should not interrupt him in the beginning. My point is that at Twelve of the Clock, the discussion regarding problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has to start.

MR. SPEAKER: After completing this item, we will take up that one.

SHRI RAM NAIK: It has been written here.

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): मेम्बर्स के वेतन और भत्ते वाला विधेयक अभी ले लिया जाए क्योंकि वह यहां से पास होकर राज्य सभा में जाएगा। पहले उसे ले लिया जाए क्योंकि यहां से पास होने के बाद आज राज्य सभा में पास होना है और राज्य सभा का आज लास्ट डे है।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): कल फैसला हुआ था। उसमें कहा गया था कि यह चर्चा होने के बाद उसे लिया जाएगा। पहले एक चर्चा खत्म होने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : पहले इस पर चर्चा खत्म होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : मेम्बर्स की सुख-सुविधा वाला मामला हम लगातार उठाते रहे हैं। यह सरकार आनाकानी कर रही है। अभी पांच मिनट में लाइए, हम लोग इसे पास करेंगे और उसके बाद दूसरी चर्चा चलाइए।

... (व्यवधान)

12.00 hrs.

इस बिल को अभी पांच मिनट पहले लाए हैं। हम इसको पहले पास करेंगे और उसके बाद आप इस डिसकशन को चला सकते हैं।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Mr. Speaker, Sir, since we have to take up discussion on the Jain Commission Report at 2.00 p.m., I would submit that after the speech of Shri Somnath Chatterjee, the hon. Minister may reply to this debate. Then we can go on to the next discussion on SCs and STs so that at 2.00 p.m. we can take up the discussion on the Jain Commission Report and the ATR, as decided yesterday. This is my submission...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee to speak.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I hope, now the position is clear. May I proceed for a little while without interruptions also from the Treasury Benches?...(Interruptions)

SHRI BUTA SINGH (JALORE): If you have not started the debate, I have just to say something.

Sir, my request to you is that I have written a letter to you saying that the Inquiry Report of Shri Durai who was appointed by the Home Ministry relating to the misuse of power by the CBI be tabled on the floor of this House...(Interruptions)

MR. SPEAKER: That is a separate issue.

SHRI BUTA SINGH : Today I have given you an authenticated copy of the Report. You had promised that you would allow me. Let me table the Report, if the Government does not bring it...(Interruptions)

MR. SPEAKER: That is a separate issue.

Shri Somnath Chatterjee to speak.

... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : I want to read it...(Interruptions)

MR. SPEAKER: No, no. Not now. That is a separate issue.

... (Interruptions)

SHRI BUTA SINGH : I have given an authenticated copy to the Speaker...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee to speak.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, as I said, the issue is very important not because the question of Bengali speaking people is concerned but because the issue is much more fundamental. It raises the question of how the Government and constitutional authorities should function...(Interruptions)

MR. SPEAKER: No cross talk please. Hon. Members, please take your seats.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : And whether, for the sake of so-called deportation of foreigners from this country, uncivilised methods can be adopted which cut at the very foundation of human rights. We did not want to have this discussion on political lines. You please recall when Shri Hannan Mollah was speaking. He tried to steer clear of any political controversy. It was raised as a question of human issue, a question of applying the laws of this country. But most regretfully, the hon. Member from Trinamool Congress, I do not know whether he belongs to the `A' team or `B' team or `C' team of the BJP...(Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA (CALCUTTA NORTH-EAST): It is the `Z' team.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Very well. It is the `Z' team. The hon. Member from the Trinamool Congress introduced all sorts of political issues and indulged in such language against political parties and my Party that I have to strongly repudiate all that has been said here...(Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA (CALCUTTA NORTH-EAST): What did I say?...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Take your seat.

... (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : He is repudiating without uttering what I did not say...(Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The record is there. Shri Jyoti Basu utters such comments on the floor of the Assembly which he ultimately withdraws...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I wish to repudiate this on the floor of the House. I am not going into all the allegations made against my Party which are not only baseless allegations but also nauseating howlers.

Sir, I am not prepared to learn about morality or ethics or political probity from those people who change their parties or party's colour like changing their shirts... (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Like CPI is changing into CPI(M) and CPI(ML)... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, we have said it earlier also and others have also said, and I reiterate what Shri Hannan Mollah has said that we are not against deportation of foreigners.

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. No cross-talk please. What is this? If you want to discuss something, you may go out and discuss it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Can he cite one instance from anybody either in West Bengal in responsible position or here that we have ever said that the foreigners should not be deported. What we have said is, `how to do it, how to identify foreigners?' Whether on the basis of religion and the language a person speaks in the country, we will decide that he is a foreigner?

Sir, there is a law of this land for detecting foreigners, for deporting foreigners. We are only trying to find out whether those legal provisions have been followed. Sir, can I be faulted or can anybody be faulted if we tried to find out that there were legal provisions which provided minimum decorum and civilised system and were they being followed or not? By hurling abuses at us, they cannot prove their case. That shows their weakness.

Sir, what I am trying to state, I am very sorry, it has to be said, `why are you feeling concerned?' because there is certain so-called ideology which is now pervading throughout the country and more particularly, in certain areas. We see the attitude of hatred and intolerance. What is happening? We see that somebody in the west who professes a particular religion is being attacked and wounded. Even a singer will not be allowed to perform because of his religion, because he comes from a particular country. Sir, we have seen, how even in Sports, the sportsmen from a particular country are not being allowed to take part in the sports activities.

Sir, on the Editorial page of Asian Age of 29th July, there is an article `Extreme Measures.' With your kind permission, I will quote a few lines of it. It says:

"...Needless to say, the drive (the deportation move) was to begin from an area where a large percentage of the inhabitants are Muslims. The country cannot stand by and watch the very basis of its existence attacked by those who claim to be motivated by another vision of India. Reports from Ahmedabad are particularly disturbing with

virtual goon brigades being formed by Vishwa Hindu Parishad and like-minded outfits to ensure that inter-religious marriages do not take place. Ahmedabad is one city in this country where segregation, according to religion, has almost been formalised. People reside in colonies according to the religion they follow..." Sir, it further says:

"It is not a question of a party or a Government. It is a question of ideology. Any ideology that seeks to divide the nation by arousing hatred must be opposed. Any ideology that draws its sustenance from the claim that one religion, be it Islam, Christianity or Hinduism is superior to another, has no place in secular India. Unfortunately, these ideologies of separatism and communalism have seeped into the vitals of Indian politics and the responsible Opposition must lift itself out of its slumber and begin to mobilise the people who alone can effectively counter the divisive forces."

This is what is disturbing us most. Today this policy, the attitude of intolerance and attitude of hatred are based on religious considerations.

When there are laws in this country for this purpose, those laws are being violated with impunity and people are being hounded out of this country.

Mr. Prime Minister, I am happy that you are here. I would like to know whether you permit any person - any individual human being, be it an Indian or a foreigner - being put into a compartment of a train in shackles. They are then being put in chains and transported over two thousand kilometres. Is this a civilized way of functioning?

The law in this country is well established and well settled. I have got a copy of an order. It is one of the specimen orders. I do not know whether the hon. Prime Minister, because of his very busy schedule, has ever had occasion to know this. Of course, he had to go abroad also. I am reading out from one order, a specimen order issued by the Deputy Commissioner of Police (Special Branch-I), CID, Mumbai dated the 26th or the 28th July, 1998. I have sent a copy of it to the hon. Minister of Home Affairs. I find that he is not here today. This is important and I quote:

"In exercise of the powers conferred upon me by the President of India with the consent of the Government of Maharashtra under clause 1 of article 258 of the Constitution entrusting to me (`to me' means, `to the Deputy Commissioner of Police'), the function of the Central Government in the making of orders of the nature specified in clause c of subsection 2 of section 3 of the said Act ... under Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi letter No. 14011/24/75-FIII dated the 19th May, 1976 and the Government of Maharashtra notification dated the 1st June, 1976, I, ..., direct that the foreigner/Bangladesh national known as ..., resident of Bangladesh/ Bangladeshi shall not remain in India after the date on which this order is served on him/her and shall leave India forthwith."

I have been trying to get a copy of this Government notification issued by the Ministry of Home Affairs. Since I could not get it in the Library, I tried to get it from the Ministry of Home Affairs but my Secretary was told, `No, it is a secret circular'. The Ministry of Home Affairs will not give it to me. I am amazed. This circular is known to a Deputy Commissioner of Police. I am a Member of Parliament for twenty eight years now and I want to get a copy of this circular but this is supposed to be a secret circular. Mr. Prime Minister, I wrote to the hon. Minister of Home Affairs on the 30th July. I have been trying to get it. It is extremely surprising that a Deputy Commissioner of Police can refer to a secret circular but a Member of Parliament cannot have any access to the same. I believe that you will not accept the position and you will be pleased to direct that office to kindly furnish me as soon as possible, preferably by tomorrow, a copy of the said circular.

I have said in my letter: `I am enclosing a copy of the order mentioned above, issued by the Deputy Commissioner of Police for your police'. It has not been replied to, nor even acknowledged. Nor any document has been supplied. What is the secrecy about it? If a Deputy Commissioner of Police will have access to it, how can it be a secret document for a Member of Parliament? I do know what the secrecy about it is.

The law in this country is well established. In this order, the Deputy Commissioner of Police says, `You have to leave India'. I am coming to the point whether he is entitled to say that. Under which law of this country is it

provided that then and there he would get hold of a person put him in chains in a railway compartment and take him over two thousand kilometres? Under what law is it provided? Shri Ajit Panja is giving a certificate that every order has been complied with, every law has been complied with. (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Sir, my name is being referred to. (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He was shown on the TV and everybody heard him.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : The circular is with Shri Indrajit Gupta. He is there by his side. He issued that circular. Therefore, ask your neighbour and do not ask me.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I have to know it from the Government under what provision somebody is asked to leave India. Is it under section 3 (2) (c) of the Foreigners Act?

There is no provision. The Supreme Court has said it. Under which order or under what authority they can be immediately put in jails, taken to a railway station, put into a railway compartment, and taken all the way to the destination? If he violates that he is open to penal action under Section 14 of the Act. The Supreme Court has said it. The High Courts have said it repeatedly. This is the matter of life and death. ... (Interruptions)

Mr. Speaker, Sir, this is a very important point. I also seek your protection. Kindly see that Members of Parliament are not handicapped in taking up a cause which is very important just because circulars are not made available on the plea that they are `secret'. Relevant documents are not made available. It cannot be a secret circular at all. It is a question of delegation of authority. ... (Interruptions) Unfortunately, the hon. Minister of Home Affairs has not shown the courtesy of replying to me. ... (Interruptions) Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister of Home Affairs made a statement on the floor of the House. I was, in a sense, very surprised and shocked. He is a senior political leader and is occupying the position of the Home Minister. What did he say when certain allegations were made? He said:-

"According to the information furnished by the Government of Maharashtra, elaborate procedure is followed .... and are given adequate opportunity ...."

Sir, the State Governments, whether it is the State Government of Maharashtra or for that matter the State Government of West Bengal, they exercise powers as delegated by the Central Government. The Government of West Bengal has deported about 80,000 people. I have read it in the newspapers. I do not know the exact figures. Whatever the Government of West Bengal has done, it has done it as the delegate of the Government of India. It is because under the law the sole authority is the Central Government which has the power to delegate powers to the different State Governments. They have delegated powers to the different State Governments. The State Governments exercise the powers as the delegate. So, when this question arises, the Central Government cannot say, `Well, we have given the powers to the State Governments'. What steps have been taken to look into the complaints? Some of these persons have already been able to prove before the High Court of Calcutta that they are not Bangladeshis, and that they are Indians.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : This is incorrect. They have brought a temporary stay order. ... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, at least the fact is that they have been able to approach the court. They have been able to approach the High Court of Calcutta which, I hope, is a duly constituted High Court. They have got the stay order issued on a strong prima facie case. I would like to know what the Government tried to do since then. This matter has been raised on the floor of the House by Shri Hannan Mollah so many times. He has written to the hon. Home Minister and he has met him also. Was a single case inquired into?

We have said that whoever was really a Bangladeshi has no right to stay here otherwise and has to go; and we have not objected to that. We have repeatedly said that. Even out of those recent incidents which have taken place, those who have been able to come out of that Railway Prison, and whoever have been found to be Bangladeshis have been asked to go away and they have gone back. Does it mean that we are trying to keep

them forcibly in India? This is what is happening. But the Home Minister does not seem to bother; and he has given a total and a clean chit to the Government. It is also being said that the onus is on the people, under the Act, against whom proceedings are taken and who are treated as foreigners; and it is for them to prove that they are not foreigners. Yes, in certain cases, onus is given, and in this case also. But that does not mean that he should not be given an opportunity to prove that he is a citizen of India. This is what the complaint is. Then, who has got the authority?

In a case, the Supreme Court decided otherwise, where the Deputy Commissioner of Police held a person to be a foreigner. That person was convicted by the Judicial Magistrate at Godhra. It was affirmed by the High Court of Gujarat. When that person approached the Supreme Court, the Supreme Court said that this was not the procedure to be adopted; he must be given an opportunity to prove since he has got some materials. So, he should be allowed to prove it. The Supreme Court said that the burden of proof is on the person; even then the accused should be given a chance to prove his case by producing evidence; and the decision of the High Court was set aside with directions to give an opportunity to the accused to give fresh evidence. But nothing like that is happening here.

Which court proceedings were produced here? What notice was given to them? What opportunity was given to them? Nobody has said about that, even after his visit to Mumbai. We have not been favoured with any detailed information about a single case.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Sir, does he mean me?

MR. SPEAKER: This kind of intervention is not good.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : If that is so, then I would say that it was produced before the Metropolitan Magistrate. This is on record. Why should he not utter the name? Why is he afraid?

MR. SPEAKER: No. This is not good.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : In each case, it was produced before the Metropolitan Magistrate. We were shown record. If the records are not correct, then, I do not know.

MR. SPEAKER: Please take your seat.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : I would also like to ask him, in how many cases, out of the 80,000 cases, the deporters were produced in courts in Bengal. They are pushing them out just because they are not Marxists. Marxism is the only consideration; otherwise, they are pushed back. Is this communism, Shri Chatterjee? ... (Interruptions) He does not know anything and he is shouting. ... (Interruptions) Shri Topdar does not know A, B, C of Law and he is shouting. ... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : In this country, there is a law for preparation of electoral roll; and only the citizens of this country can be on that electoral roll. Elaborate provisions have been made in this country to issue voters' identity cards. They could only be issued on the basis of their names on the electoral rolls. Now, people are holding those voters' identity cards. Shri Rawale has just now said that they are bogus cards. But who decided it -- the goons on the streets? Who decided it -- the police there?

Who decided that they were not genuine cards? I have got a plenty of documents here. I have got some specimens. I am thankful to Shri Sharad Pawar for he has got them verified. People with their valid voters' registration and also voters' identity cards have been thrown out on the plea that they are not acceptable. This is nothing but a law of the jungle. That is what we are objecting to. We are saying to follow a proper method. Shri Buddhadeb Bhattacharya of the Government of West Bengal has written to him. For the country's sake, let us certainly take away the foreigners but you cannot say that everybody is a foreigner because he is speaking Bengali and he is a Muslim. It is not necessary that you should pick him up from wherever he is. It happened here. We went to Jahangirpuri two or three years back. A similar position was there. People are just picked up

because they speak Bengali. They were picked up saying that they were foreigners belonging to Bangladesh and should get out. There is no law.

I would like to know from the Government whether people can be picked up just like that and produced before the Magistrate or not. We would like to know on this point. If you are asked to prove whether you are a Bengali or a Bangladeshi, how can you prove it then and there? Shri Hannan Mollah rightly pointed it out. They are illiterate poor people who had gone all the way for earning their livelihood as citizens of India. Can I not go and stay in any place in India? Should I have to take the permission from some people for this? We cannot accept this.

I hope this country and this Parliament, the highest body in this country, will express its abhorrence at the delegation of authority to some persons to decide the fate of human beings in this country and to describe the citizens of this country as foreigners. And shall we keep quiet just because a combination of political forces is supporting this Government? No. We cannot accept that.

There are many authorities like Justice J.C. Shah and Justice V.S. Desai. Justice J.C. Shah became the Chief Justice of India. He repeatedly said that there must be strict proof of delegation proof. He held the view in the case, State versus Ebrahim Nabigi, AIR 1959 Bombay 525. Justice J.C. Shah and Justice V.S. Desai were there. I would quote from the judgement.

"...The respondent could not be held otherwise guilty of the infringement of the provisions of Section 14 because there was no lawful direction issued against him requiring him under Section 3, Sub-Section (2) Clause (c) of the Foreigners' Act."

Merely asking to issue orders has to be a lawful one under Section 3 of the Foreigners' Act. I am reading from the judgement of the court. I hope he does not object to it.

"Under Section 3 of the Foreigners' Act, the power to make an order either against an individual or against a class generally, is conferred upon the Central Government and under Section 12 of the Foreigners' Act, the power to make orders under Section 3 may be delegated to a subordinate authority. By virtue of a notification dated 17th October, 1955, the power may be deemed to be conferred upon the State Government. But there was no order issued by the Central Government."

Shri Ram Naik, I hope you would be probably replying. I do not know.

SHRI RAM NAIK: I would intervene after you speak...(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : But there was no order issued by the Central Government. I am reading from the judgement of the Mumbai High Court.

"But there was no order issued by the Central Government or competently by the State Government which had delegated the authority under Section 3, Sub-Section (2) Clause (c) of the Foreigners' Act upon the Superintendent of Police. The order passed by the District Superintendent of Police on 20th August, 1957 must, therefore, be regarded as unauthorised and failure to carry out the requisition contained in that order cannot be penalised under Section 14 of the Foreigners' Act."

Shri Ram Naik, I hope you at least know Section 14. I hope you are having it.

SHRI RAM NAIK: I have studied it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I am convinced about your sanity, Shri Ram Naik. I have no doubt about it.

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, please conclude. You have taken half-an-hour.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, forty minutes were taken by a seven-member party...(Interruptions) ...

A similar decision was taken by MP High Court in AIR 1959 MP 387....(Interruptions)

Sir, there is a decision of AIR 1958 Calcutta 565 also. Therefore, the question of delegation is very important. It is not a question of legal decision; but it is a question of authority; it is a question of jurisdiction; it is a question of power which is involved in matters of human rights; and it is a question of the rights of the citizens of this country. We cannot agree that any policeman or anybody in this country, without proper procedure or without giving proper opportunity to human beings, will brand them as foreigners, and treat them in that manner. Have we got any instances anywhere in the world where people have been sent back in this manner, even if they are foreigners?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Yes. In Soviet Union, there are a lot of instances....(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : We are aware of the hon. Members's antipathy towards communism or towards Soviet Union. His antipathy is known to us. But according to him, he does not like Soviet Union and Communists. This country has the fortune of having the best of friends in Soviet Union. Do not forget it, Shri Panja.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : If it fell down like a pack of cards, what can I do, Shri Chatterjee?... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The decimation of his new party new allies has already started.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not disturb him. Please take your seat.

... (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Sir, he wanted to be the Chief Minister of West Bengal. If he could not be, then what can I do?...(Interruptions)

MR. SPEAKER: This kind of interventions is not good.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Such silly remarks are made on the floor of the House....(Interruptions)...Sir, what he is saying is disgusting and nauseating.

Sir, I feel more convinced that there was no proper authority in the so-called delegated power that has been exercised. The Home Minister of India does not produce the documents which purports to give the authority. Till today, we do not know what is the document, and the Home Ministry has the guilt to deny supplying that copy on the plea of a secret circular. How is it that the Parliament does not know about it?...(Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR (DUMDUM): Sir, this is not the way to speak. He is misleading the House. I can quote from documents, if necessary...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. The hon. Minister is going to reply to it. Why are you interrupting?

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, there are heart-rending reports which have come out in many newspapers, responsible national dailies, about how people in certain areas are being treated inhumanly. We have not shown any protest against that. Instances after instances have been mentioned here. Sir, you are not giving me time to speak. I do not wish to take the time of the House.

AN HON. MEMBER: It is better for you to lay it on the Table.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : If this means that such type of comments will deter me, then you are mistaken. You are totally mistaken.

Sir, I am reiterating it. Heart-rending incidents are taking place...(Interruptions)... This is the way Members are treated and we are given lectures on decorum by Shri Khurana...(Interruptions)...Should this House function on the basis of these remarks?...(Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : हमारी शिकायत यही है कि जब चटर्जी बाबू, श्री शरद पवार जी, श्री चन्द्रशेखर और श्री मुलायम सिंह जी बोलने के लिए उठते हैं तो रूलिंग पार्टी का एक भी आदमी यह नहीं चाहता कि हम सब बोलें। वे हमेशा हमें डिस्टर्ब करते हैं। आपने मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद यादव को

... (व्यवधान)

आप देखिये ... (व्यवधान) यह कैसे हो गया।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, no, Shri Swain.

... (Interruptions)

SHRI LALU PRASAD :*

MR. SPEAKER: This applies to both the sides, Shri Lalu Prasad.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: It applies not only to the Treasury Benches but also to the Opposition.

श्री लालू प्रसाद :अध्यक्ष महोदय, खुराना जी जनसत्ता को बुलाकर ब्रीफ करते हैं कि मुलायम सिंह जी और हम हाउस के डेकोरम को मेन्टेन नहीं करते। यह आप छपवाते हैं।

... (व्यवधान)

क्या इस तरह से हाउस चलेगा?

... (व्यवधान)

आपके हुक्म पर हम बैठ गये। यदि इस तरह का अतिक्रमण होता रहेगा तो फिर माफ करिये कि हम अपनी जुबान को नहीं रोक सकते।

... (व्यवधान)

SHRI AJIT KUMAR PANJA :* Please take a note of it. ... (Interruptions)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI TAPAN SIKDAR : Sir, is the repetition of this word a decorum? ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, no; please take your seat.

SHRI AJIT KUMAR PANJA :**(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, 20 minutes have gone in this way. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, do not disturb him.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, many instances have been given. Very responsible people have said it. Shri Suresh, a retired Judge, has said:

"If an Indian is asked to prove his nationality, what will he do? He will show his identity card, his ration card or his passport. If the authorities refuse to accept this as a proof, he cannot do a thing. Most of the deportees had them. Yet they were driven out. If a Bangladeshi cannot be treated like an animal by the Police, they have to follow certain norms.

A retired Judge has said it.

Shri Hannan Moollah has also said. I am not going to repeat much of what has already been said. But with regard to the proceedings, this is what an hon. Judge of the Calcutta High Court has said:

"It was found that no proceedings have been drawn against the deportees under the Citizenship Act or any other statute by the Mumbai Police Commissioner."

On the basis of that, interim orders have been given and matters have been closed. I do not know whether they have been finally disposed of or not. We are repeatedly saying that this type of taking law into their hands, they are trying to set up a new procedure for the purpose of dealing with human beings because of certain ideology which is being propagated, and also trying to create an atmosphere of hatred and intolerance in this country. This is the manifestation of that ideology. Therefore, we are objecting to it and shall go on objecting to it. I strongly protest against the deliberate refusal of the Ministry of Home Affairs to produce the document on the basis of which the authority has been sought to be delegated.

** Expunged as ordered by the Chair.

I cannot but ask the hon. Speaker of this House - you, Sir, as a presiding authority. ... (Interruptions) When I am addressing you, he objects.

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, you have taken 40 minutes.

Sir, with my limited experience in this House, I would like to submit and I hope, at least this much would be conceded that -- when the Members try to discharge their responsibilities as the representatives of the people --if an insensitive and anti-people Government cannot function and cannot provide the necessary relief, at least, the hon. Speaker should come forward and see that the Members are allowed to function in a manner in which they are required to do. This country cannot be treated as a hegemony of a brigade, the saffron brigade, or of anybody for that matter. We shall not accept it. We shall go on protesting against it.

Sir, I must congratulate the valiant people of Uluberia who rescued those people who were treated as animals and cattles. I know the Government of West Bengal have categorically stated that it was an unfortunate incident. But if there is an insensitive Government here and if some authorities exercise some draconian powers, then it is for the people to take action and help their brethren, the citizens of this country, from this type of a harassment.

Sir, therefore, I would like to strongly urge upon the Government of India and submit, why is the Government not taking some steps regarding the deportation of the foreign nationals? Why is the Government not following a method for their deportation? Let the Government call the people, call the representatives of the Government and, find a proper and legal method to do it. Why is the Government taking this type of an approach and attitude which is only dividing the people and the country? This is not the way to function. The Home Ministry of the Government of India has totally failed. Especially when the problem has arisen, the Home Minister stood up and white-washed everything that happened. Now, he seems to be busy with more important activities. I do not mind it.

MR. SPEAKER: The Home Minister is coming.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I said that I do not mind it. Now the country is facing a serious problem. He might be busy with that. What happened yesterday has saddened us all. We all are concerned about it. I am not objecting to his absence. He has no Deputy to support him, though Shri Ram Naik is a worthy representative of the Government.

Sir, I demand a civilized action from this Government and not this type of an inhuman conduct on the part of the authorities ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, before the intervention by Shri Ram Naik, I would like to make an intervention.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please understand that there is an observation from the Chair.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Sir, one MLA from our Party is affected ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please hear me first. Please take your seat.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you are aware that there are very important items for discussion which have been listed in today's List of Business and those have to be disposed of. If the House agrees, then we may skip lunch hour and sit late up to 9 p.m.

... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हमारी बात सुने बिना जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जवाब नहीं दे रहे हैं, यह इंटरवैंशन है।

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे, उस समय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने एक पाइंट उठाया था कि १२.०० बजे से एस.सी., एस.टी. का मामला एजैंडा में ऑलरैडी लिस्टेड है। एजैंडा में साफ लिखा हुआ है कि वह १२.०० बजे शुरु हो जाएगा चाहे उससे पहले कोई बिजनैस समाप्त हुआ हो या नहीं। उस समय १२.०० बजने में दो मिनट बाकी थे। अब दो मिनट देर हो गई है। सोमनाथ दादा बोल चुके। यह कहा गया था कि इनके बाद मंत्री जी रिप्लाई देंगे। हम नहीं जानते कि मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं या इंटरवैंशन कर रहे हैं क्योंकि और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह रिप्लाई नहीं है, इंटरवैंशन है।

श्री राम विलास पासवान : मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब बूटा सिंह जी ने मामला उठाया था, तो आपने चेयर की तरफ से कहा था कि दिल्ली में शैडयूल्ड कास्टस के संबंध में जो घटना घटी, उस संबंध में १२.०० बजे से डिस्कशन होने वाला है इसलिए मैं अभी ऐलाऊ नहीं करूंगा। हम आपसे इतना ही जानना चाहते हैं कि एस.सी., एस.टी. डिस्कशन का फेट क्या है।

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: If the House agrees, we could take up the discussion on SC/ST at 1 P.M.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, that means, Shri Ram Naik would complete by 1 P.M.

MR. SPEAKER: Now if the House agrees then we can take up the discussion under Rule 193 on SC/ST at 2 P.M.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : ये इंटरवीन क्यों करें, ये इकट्ठा ही जवाब दे देंगे। इससे एक सदस्य और बोल लेगा।

SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, these items have been listed since yesterday. Today, we already have exhausted half of the time ... (Interruptions) Sir, we also are interested in the discussion on SC/ST.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): अध्यक्ष जी, मैं राज्य मंत्री के नाते और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई भी नहीं बोला है, इसलिए मैं इंटरवीन करना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

SHRI P.C. CHACKO (IDUKKI): Shri Ram Naikji, you are the Minister for Parliamentary Affairs. We would not like to disturb you ... (Interruptions) Sir, yesterday we raised this issue about the Report of the Jain Commission and the Chair gave us an assurance that the discussion on the Report of the Jain Commission would be taken up at 2 P.M ... (Interruptions) Sir, you may kindly protect our interest ... (Interruptions) Sir, the Chair gave us an assurance that the Report of the Jain Commission would be taken up at 2 P.M. today ... (Interruptions) Sir, the discussion on the SC/ST is also very important ... (Interruptions) Sir, we are making this suggestion ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are saying that both the subjects are important.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Sir, it should go according to the List of Business ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Chacko, please understand that the discussion on the Report of the Jain Commission would be taken up after the completion of the discussion on the SC/ST under rule 193.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Sir, this House would meet only for two more days ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: There will be no problem and we would complete it. After the discussion on the SC/ST, we would take up discussion on the Report of the Jain Commission.

SHRI P.C. CHACKO : Sir, please give your ruling ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now the discussion on SC/ST will be taken up and after that the discussion on the Report of the Jain Commission will be taken up.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Sir, at what time would it be taken up?

MR. SPEAKER: Immediately after the discussion on the SC/ST, the discussion on the Jain Commission would be taken up.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please understand that two hours have been allotted for completion of the discussion on the SC/ST. After that we would take up the discussion on the Jain Commission.

... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Sir, the Chair can take any decision. We are not going to question it ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please understand that all these issues are important. We would complete them one by one.

... (Interruptions)

SHRI P. UPENDRA (VIJAYAWADA): Sir, I doubt if we could finish the discussion on the SC/ST within two hours ... (Interruptions) Sir, it can not be finished within two hours ... (Interruptions) The discussion on SC/ST under rule 193 would be taking a few hours to complete ... (Interruptions) Sir, it cannot be finished within two hours ... (Interruptions)

SHRI P.C. CHACKO : Do you think you can finish such an important discussion on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in two hours?... (Interruptions) We are not doing any justice to the business of the House.... (Interruptions)

MR.SPEAKER: Please understand Shri Chacko. I think you are aware of the timings.

SHRI P.C. CHACKO : You cannot finish the business within two hours. We seek your protection. We are cooperating with the Chair... (Interruptions) The discussion on Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be concluded by 1400 hours.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: You may take your seat. As soon as we finish the discussion on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we will take up the discussion on the Jain Commission Report.

">

श्री राम नाईकः अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि मैं एक राज्य मंत्री के नाते इस डिबेट में इंटरवीन कर रहा हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का अब तक कोई भी सदस्य नहीं बोला है इसलिए भी मैं बोल रहा हूं। मैं महाराष्ट्र से मुम्बई से आता हूं।

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. पर डिसकशन कब होगा?

अध्यक्ष महोदयः क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बोलते हैं, आप बैठ जाइए।

श्री राम नाईकः मेरे से पहले विपक्ष के जो भी नेता बोले हैं, उनकी सारी जानकारी केवल अखबारों के आधार पर है। वहां की हकीकत क्या है, उनको मालूम नहीं है, मुझे इस बात का खेद है। जब यह सवाल यहां पर उपस्थित किया गया तो विपक्ष के नेता शरद पवार और सी.पी.आई. (एम.) के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, मुझे इस बात का दुख है। देश में जो घुसपैठिए आ रहे हैं, यह समस्या उससे जुड़ी हुई है। इसलिए सबको मालूम है, आपको सोमनाथ जी मालूम है कि देश में जो घुसपैठिए आते हैं, उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। जिस प्रकार से निकालना चाहिए, उस प्रकार के कानूनी तरीके से ही उनको निकाला जाता है, कम से कम महाराष्ट्र में तो ऐसे ही निकाला जाता है। मुझे पता नहीं है कि वैस्ट बंगाल में कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपने कहा कि आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कैसे निकाला जाता है, यह मुझे मालूम है। इसके लिए फारनर्स एक्ट है, जिसका उल्लेख आपने किया है। उसके अंदर डेलीगेशन आफ पावर्स हैं, जिसका भी उल्लेख आपने किया है। इसमें सीधी-सीधी बात है कि पासपोर्ट के अंदर रूल्स बनाए हुए हैं। यह रूल्स आफ एक्ट के अंदर राज्य सरकार को अधिकार दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में भी जो सारी प्रक्रिया चलती है, महाराष्ट्र में, मुम्बई में मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटस हैं। पुलिस अधिकारी को जब पता चलता है कि यहां पर इस प्रकार का विदेशी है तो उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है, सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, उस व्यक्ति को अवसर देना पड़ता है और अवसर देने के बाद ही वह मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना एफिडेविट देता है। आपको मालूम नहीं है, आप कहें तो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास सारे कागज हैं। मुम्बई में जो यह काम चलता है, वह चीफ एडीशनल मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ३७ कोर्ट एस्प्लेनेड, उसमें हरेक पुलिस अधिकारी को शिकायत करनी पड़ती है। आपने कहा कि हमें मालूम नहीं है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I read out from an order of the Government on Deportation.

हम वही तो मांग रहे हैं।

श्री राम नाईकः आपको यह मालूम नहीं है, वही बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी है। इसलिए मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अधिकार है। उनके यहां सारी बातें होती हैं, चर्चा होती है, जिनका नाम है, उन्हें मौका दिया जाता है और फिर प्रूव किया जाता है कि उनको डिपोर्ट किया जाए, फिर उसके बारे में फैसला किया जाता है। यह सालों-साल चली हुई पद्धति है। इसमें यह बात आई कि केवल भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार ने यह किया, यह आक्षेप की बात दिखती है। मैं बताना चाहता हूं फिगर्स के साथ और ये सारे खुले फिगर्स हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार महाराष्ट्र में नहीं थी, तब आज के विपक्ष के नेता, शरद पवार जी, वहां के मुख्य मंत्री थे।

१९९२-१९९५ के पीरिएड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि १९९० में ७३६ और १९९१ में ७५० लोगों को बंगलादेश को डिपोर्ट किया गया। हमारी सरकार १९९५ में आई थी। १९९५ में ५६० और १९९६ में ७७१ लोगों को डिपोर्ट किया गया।

सामान्यतः इस मामले में कांग्रेस की एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी और हमारी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी एक ही है। उसमें कोई नयी बात नहीं है, जैसा कानून से चलना चाहिए, उसी प्रकार से हम वहां काम करते आए हैं। इस भूमिका में जिनको डिपोर्ट करना था, ऐसी तीन टुकड़ियों को, मैजिस्ट्रेट ने अधिकार देने के बाद, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर देने के बाद, जिसका यहां उल्लेख किया गया कि उसके तहत पुलिस अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर को ऑथोरिटी दी जाती हैः

He has to execute the order of the Magistrate. He takes such deportees to the border. 21

और २२ जुलाई को इस प्रकार तीन बैचेज लिये गए और उनमें से दो बैचेज डीपोर्ट होकर पहुंच गए लेकिन ३१ जुलाई को जो बैच गया, उसे बीच में ही एक रेलवे स्टेशन पर रोका गया। वहां के पुलिस अधिकारी को कहा गया कि आप उतर जाइए। जो पुलिस अधिकारी उनको लेकर जा रहे थे और जिनके साथ ३४ डीपोर्टीज थे, उनको नीचे उतारा गया। मौब साइक्लॉजी के नाते मौब ने उन पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उन पर हमला किया और सारे डीपोर्टीज को वह भगाकर ले गई।

This is the civilised action of your Police.

पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार से काम कर रही है। नौ हजार का मौब वहां पर इकट्ठा हो गया जो उनको लेकर गया।

Is this the rule of law in your State?

एक रूल, जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को अधिकार दिया है कि वह उनको बॉर्डर पर ले जाएं, तब इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा उनको रोकना

... (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I raised a specific point. I read out the order of deportation which refers to a notification of the Central Government. Why does he not produce it?

SHRI RAM NAIK: I said that those questions will be replied to by the Home Minister. He is held up in the Rajya Sabha now. He will answer all questions at the time of final reply.

श्री रूपचन्द पाल : आपके रिश्तेदार को, आपके लड़के को इस तरह चैन में बांधकर ले जाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा?

... (व्यवधान)

श्री राम नाईकः सोमनाथ दादा, कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यदि जंगल का कानून वहां चलता है तो महाराष्ट्र में नहीं चलता। पश्चिम बंगाल में चलता है जहां से पुलिस हमला करके उन लोगों को ले गई।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : आपके रिश्तेदार को, लड़के को या लड़की को पुलिस चैन में बांधकर ले जाएगी तो आपको कैसा लगेगा?

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Swain, what is this? Why are you interrupting the Minister?

श्री राम नाईकः अध्यक्ष जी, इन लोगों ने मान भी लिया कि जंगल का कानून वहां है। वहां से छुड़ाकर ले गए, ऐसा मान रहे हैं और इसलिए

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. Let the Minister complete. Shri Rup Chand Pal, you are a senior Member.

श्री राम नाईकः जिन ३८ लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस छुड़ाकर ले गई, उनको पश्चिम बंगाल की कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया।

13.00 hrs.

उनमें से तेरह लोगों ने अनामत बांड दे दिया और फिर इन लोगों को मैजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन तेरह लोगों की एन्क वायरी की। बाकी २५ लोग ६०० रुपए नहीं दे पाए। पश्चिम बंगाल की पुलिस को जांच के दौरान इन तेरह लोगों ने बताया कि हम बंगलादेश से आए हैं। इसके बाद इन लोगों को मिदनापुर के डिसट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस को इन्टैरोगेशन से पता चला कि ये तेरह लोग एडमिट कर रहे हैं और फिर ६०० रुपए की जमानत को विदड़ा कर दिया गया।

They have been arrested by the West Bengal Police.

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने जो काम किया है, वह सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस प्रकार से मोबोक्रेसी चलाई है, उससे काम नहीं चलता है।

... (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : बाकी लोगों का क्या हुआ। बंगलादेशी जो पकड़ लिए, भेज दो।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, please. What is this? Let him complete. Please take your seat.

... (Interruptions)

श्री राम नाईकः सोमनाथ जी ने संविधान का हवाला दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस कानून के अन्दर काम कर रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने जिस प्रकार का काम किया, उसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को महाराष्ट्र सरकार से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से पुलिस को अ वमानित किया है। यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है

... (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल के इस समय जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अन्दर कानून के अनुसार काम नहीं हो रहा है। अब महाराष्ट्र में कानून के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह तय करने का काम पश्चिम बंगाल के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का नहीं है, यह काम तो न्यायालय का है। इसी लिए

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : कानून तो एक ही है।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Rupchand Pal, is this the way to intervene?

श्री राम नाईकः इसलिए वहां के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, ने जो वक्तव्य दिया है, हम उसका विरोध करते हैं और बताना चाहते हैं कि उन्होंने काम सही नहीं किया है। उन लोगों को छुड़ाने के बारे में भी बताया गया है ... (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE With this, Shri Budhadeb Bhattacharya has shown proper statesmanship.

SHRI RAM NAIK: What more respect you want?

SHRI SATYA PAL JAIN (CHANDIGARH): Please do not interrupt. I do not know why he is so restless today. Permit him to complete.

श्री राम नाईक : यह बताया गया है कि फारवर्ड ब्लाक के "> **MLA** ने यह काम किया है। ऐसा यहां बताया गया है, लेकिन मुझे इसका बता नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): फारवर्ड ब्लाक का **MLA** नहीं, २० हजार लोगों ने यह काम किया है

... (व्यवधान)

श्री राम नाईकः इसी फारवर्ड ब्लाक के **MLA** ने, जिसकी मान्यता अभी दे रहे हैं, पुलिस की हिरासत से लोगों को छुड़ा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि उसने बेकानूनी काम किया है। वामपंथ और लैफ्टफ्रन्ट ने इस प्रकार की घोषणा की है कि यह सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं है। अब सिविलाइज्ड बिहेविर किसका है, यह तो आपको पता है।

दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें हिन्दू-मुसलमान की बात भी लाई गई है कि मुसलमानों को डिपोर्ट किया जा रहा है। आप चाहें, तो मैं फीगर्स दे सकता हूं और आप चाहें, तो मैं नाम भी पढ़ सकता हूं। जो गैर मुसलमान हैं, ऐसे भी लगभग ३४ लोगों को महाराष्ट्र से डिपोर्ट किया गया है। आप चाहते हैं, तो मैं नाम पढ़ने के लिए तैयार हूं।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस काम में कांग्रेस का भी रोल है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष, सदन में दिखते नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं।

कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने २७ जुलाई को कलकत्ता एयरपोर्ट के सामने पब्लिक मीटिंग में भाषण किया। मैं यह समझ सकता हूं कि उन्होंने बंगलादेशियों के बारे में कहा।

... (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे विश्वास था कि कम से कम राम नाईक जी जैसे व्यक्ति इस सवाल पर राजनीति से ऊपर उठ कर बात करेंगे।

... (व्यवधान)

लेकिन आप राजनैतिक तरीके से बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। यह बात आपको शोभा नहीं देती। आप सही ढंग से बताइए कि क्या बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री राम नाईक : मैं आपका आभारी हूं, लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आपको राजनैतिक बात याद आ गई। जब वहां से विरोधी नेता बोल रहे थे और उन्होंने उनका नाम लेकर शिवसेना का १५-२० साल का इतिहास निकाला, उस समय आपको यह बात याद नहीं आई।

... (व्यवधान)

जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर पब्लिक मीटिंग में २७ जुलाई को कहा कि इस प्रकार का व्यवहार यदि महाराष्ट्र सरकार आगे करती रहेगी तो महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोग जो कलकत्ता में हैं उनको हम बाहर निकालें देंगे। इस प्रकार का भाषण आपके अध्यक्ष ने किया है।

... (व्यवधान)

मेरे पास इसकी जानकारी है। हमारी सरकार के बारे में किसी के मन में शंका क्यों आई। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि आप में से भी कुछ लोग वहां आए थे। हमने कहा कि आइए, देखिए, आप जानकारी लीजिए, हम जानकारी देने के लिए उत्सुक हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार करती है, यहां से कोई जानकारी लेने के लिए वहां जाना चाहता है तो कहते हैं कि मत आओ, ऐसी हमारी सरकार नहीं है। हम खुले ढंग से काम करते हैं।

... (व्यवधान)

पिछले छः-सात साल में पश्चिम बंगाल से जो भी कानूनी ढंग से डिपोर्ट किया, ऐसा आपने कहा।

... (व्यवधान)

आपने पहले कहा कि

६० हजार डिपोर्ट किए हैं, क्या यह फीगर सही है, क्या ऐसा आप मानते हैं। ... (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, यह आपको भी मालूम नहीं है। इतने महत्व के विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है कि यह जो तरीका है, देश से बाहर के जो घुसपैठिए आए हैं, उनको देश से बाहर निकालने के काम को राजनैतिक रंग देना देश के हित में नहीं है और जो बात देश के हित में नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को और वहां की पार्टियों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए।

... (व्यवधान)

वहां जो काम हो रहा है उसमें अड़ंगा डालने का कोई काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, इन बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण पूरा करता हूं।

[illegible]

च्त्डक्ष् ग्ऋत्तछत्र्ञ्छ च्क्ष्डघ्क्षत्र्छ : च्द्ध, त्म द्यण्ड्ड त्तदृद्वम्ड्ड ढ़दृत्दढ़ द्यदृ ढद्वदड़द्यत्दृद थत्त्ड्ड द्यण्त्म?... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

ग्ड. च्य्क्ऋक्ष्ड: क्ष् ड्ड्ड द्रद्वद्यद्यत्दढ़ ड्ड म्द्यद्धड्डत्त्ढ़ण्द्य दद्वड्ड्मद्यत्दृद द्यदृ द्यण्ड्ड ण्दृद. ग्ड्ड्ध्डड्ड्द्धम. क्ष् ध्ड्डदद्य द्यण्ड्ड म्ड्डदम्ड्ड दृढ द्यण्ड्ड त्तदृद्वम्ड्ड. च्ण्ड्डथ ध्ड्ड द्यड्डत्त्ड्ड द्वद्र ड्डत्मड़द्वम्मत्दृद दृद द्रद्धदृडथ्ड्डध्म दृढ च्क/च्क्म दृद्ध ख्ड्डत्द क्दृथ्र्त्मम्त्दृद डड्डद्रदृद्धद्य?

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का : च्द्ध, त्य त्म थत्मद्यड्ड्ड ढदृद्ध द्यदृड्डड्डू... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

ग्ड. च्य्क्ऋक्ष्ड: ज़्ड्डम, त्य त्म थत्मद्यड्ड्ड ढदृद्ध द्यदृड्डड्डू, डद्वद्य ध्ड्ड ण्ड्डध्ड्ड द्यदृ ड़दृथ्द्रथ्ड्डद्यड्ड ड्डथ द्यण्ड्ड त्यड्डध्म त्द द्यदृड्डड्डू'म ख़्त्मद्य दृढ एद्वमत्दड्डमम.

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का : च्रण्ड्ड ड्डत्मड़द्वम्मत्दृद दृद ड्डड्डद्रदृद्धद्यड्डद्यत्दृद द्रद्धदृडथ्ड्ड ड़दृद्वथ्ड्ड डड्ड ध्दृद्वदड्ड द्वद्र ददृ. क्ष्य त्म ढ़दृत्दढ़ दृद थत्त्ड्ड द्यण्त्म... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

ग्ड. च्य्क्ऋक्ष्ड: त्तड्ड त्म द्यण्ड्ड थ्ड्डमद्य म्द्रड्डड्डत्त्ड्डद्ध. क्ष् ण्ड्डध्ड्ड ड़ड्डथ्ड्ड्ड ण्त्म दड्डथ्ड्ड.

... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का : च्द्ध, थ्ड्डद्य द्वद्म द्यड्डत्त्ड्ड द्यण्ड्ड ख्ड्डत्द क्दृथ्र्त्मम्त्दृद डड्डद्रदृद्धद्य ड्डद्य ३ द्र.१. ग्र्यण्ड्डद्धध्त्मड्ड त्य ड़ड्डदददृद्य डड्ड द्यड्डत्त्ड्डद द्वद्र द्यदृड्डड्डू... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म) च्द्ध, त्ढ द्यण्ड्डू ध्ड्डदद्य द्यदृ म्द्यड्डथ त्य, थ्ड्डद्य द्यण्ड्ड म्द्यड्डथ त्य... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म) च्रत्म त्तदृद्वम्ड्ड ध्ड्डम ड्डत्मड्डदड्ड्ड दृदथ्र द्यदृ ड्डत्मड़द्वमम द्यण्ड्ड ख्ड्डत्द क्दृथ्र्त्मम्त्दृद डड्डद्रदृद्धद्य. ज़्ड्डमद्यड्ड्डद्धड्डड्डू, त्य ध्ड्डम ड्डददृद्वदड़ड्ड्ड द्वथ्द्रद्यड्ड्डद दद्वध्डड्ड्ड दृढ द्यत्थ्ड्डम द्यण्ड्डद्य त्य ध्दृद्वथ्ड्ड डड्ड ड्डत्मड़द्वमम्ड्ड द्यदृड्डड्डू... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

ग्ड. च्य्क्ऋक्ष्ड: चण्द्धत ख़्ड्डध्ड्डड्ड्ड त्म द्यण्ड्ड थ्ड्डमद्य म्द्रड्डड्डत्त्ड्डद्ध दृद द्यण्ड्डद्य म्द्वडञ्ड्डड़द्य, थ्ड्डद्य ण्त्थ ड़दृथ्द्रथ्ड्डद्यड्ड ढत्द्धमद्य.

... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

श्री कांतिलाल भूरिया : अध्यक्ष जी, ये लोग जानबूझकर टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, यह कोई तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

जैन कमीशन की रिपोर्ट को आप कब लेंगे यह बताएं।... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का :क्ष्य ध्ड्डम ड्डददृद्वदड़ड्ड्ड ऋ्ड्डमद्यड्ड्डद्धड्डड्डू ड्डदड्ड ददृ न्दृद्व ड्डद्धड्ड ड़ण्ड्डदढ़त्दढ़ द्यण्ड्ड ड्डड्डड़त्मत्दृद, च्द्ध. क्ष् ध्ड्डदद्य द्यदृ त्ददृ द्यण्ड्ड ऋदृध्ड्डद्धदथ्ड्डदद्य'म म्द्यड्डदड्ड दृद द्यण्त्म.

च्त्क ग्क्ष्क्ष्च्क्ड ग्क घ्ह्र्क्ष्त्र्ह्र्का च्ह्र्ड त्र्क्ष्क्ष्ह्ड्च त्र्ह्व ग्क्ष्क्ष्च्क्ड ग्क च्छडक्ष्च (च्त्डक्ष् ग्ऋत्र्ह ख्त्र्ह्व ख़्त्तछडत्र्हत्र्ह: च्रत्म त्म द्यण्ड्ड ड्डड्डड़त्मत्दृद दृढ द्यण्ड्ड त्तदृद्वम्ड्ड.

मेरा नाम क्यों ले रहे हैं।...

(क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

श्री कांतिलाल भूरिया : यह जानबूझकर टाइम को बढ़ा रहे हैं, यह सारे देश के भविष्य का सवाल है,

... (व्यवधान)

ऐसे कैसे काम चलेगा।?

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष जी, ये जानबूझकर बीच में डिस्टर्ब करके टाइम को बर्बाद करवा रहे हैं।

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का : च्द्ध, क्ष् म्द्वडध्त्य द्यण्ड्डद्य ड्डद्य थ्ड्डड्डमद्य ड्डद्य ३ द्र.१. ध्ड्ड मण्दृद्वथ्ड्ड म्द्यड्डद्धद्य द्यण्ड्ड ड्डत्मड़द्वमम्त्दृद दृद ख्ड्डत्द क्दृथ्र्त्मम्त्दृद डड्डद्रदृद्धद्य. क्ष् ध्दृद्वथ्ड्ड थत्त्ड्ड द्यदृ त्ददृ द्यण्ड्ड द्धड्डड्डड़द्यत्दृद दृढ द्यण्ड्ड च्द्धड्डड्डमद्वद्धद्र एड्डदड़ण्ड्डम.

च्त्डक्ष् ग्ऋत्र्ह ख्त्र्ह्व ख़्त्तछडत्र्हत्र्ह ज़्ड्ड ण्ड्डध्ड्ड ददृ दृडञ्ड्डड़द्यत्दृद ध्ण्ड्डद्यण्ड्डद्ध त्य त्म द्यड्डत्त्ड्डद द्वद्र ड्डद्य २ द्र.१. दृद्ध ३ द्र.१... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का : च्द्ध, ड्डदृड्डम द्यण्ड्ड ऋदृध्ड्डद्धदथ्ड्डदद्य ड्डढ़द्धड्डड्ड ढदृद्ध ३ द्र.१?

च्त्डक्ष् ग्ऋत्र्ह ख्त्र्ह्व ख़्त्तछडत्र्हत्र्ह ज़्ड्डम... (क्ष्दद्यड्ड्डद्धद्वद्रद्यत्दृदद्म)

घ्डग्क़ द.ख. ख़्छडक्ष्का : च्द्ध, त्य त्म ध्ड्डद्धद्र द्वदढदृद्धद्यद्वदड्डद्यड्ड. डड्डत्थ ऋ्ड्डदड्डण्त ध्ड्डम ददृद्य दृदथ्र द्यण्ड्ड ख्ड्डड्डड्डड्डद्ध दृढ द्यण्ड्ड त्तदृद्वम्ड्ड, ण्ड्ड ध्ड्डम द्यण्ड्ड थ्ड्डड्डड्डड्डद्ध दृढ द्यण्ड्ड दड्डद्यत्दृद. क्ष्ढ द्यण्त्म त्तदृद्वम्ड्ड त्म ददृद्य ड़दृदड़ड्डद्धदड्डड्ड, क्ष् ड्डथ ध्ड्डद्धद्र म्दृद्धद्धद्र द्यण्ड्डद्य द्यण्त्म त्म द्यड्डत्त्ड्डद थत्त्ड्ड ड्डदृ दृद्यण्ड्डद्ध म्द्वडञ्ड्डड़द्य. क्ष्य त्म ऋ्मद्य डड्डत्दढ़ द्रद्वमण्ड्डड्ड थत्त्ड्ड द्यण्त्म. च्रत्म त्म

ध्रुद्धद्र द्वदढदृद्धद्यद्वदठ्ठद्यड्ड. डठ्ठत्रू क्रह्लदड्डण्त्'द्म ठ्ठुद्मद्मठ्ठुद्मद्मात्दठ्ठद्यात्दृद त्द्म ददृद्य थ्त्ठ्ठ ठ्ठुदन्र दृद्यण्ठ्ठुद्ध द्मद्वडन्ड्ढड्डद्य... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म) च्रण्ड्ड द्रड्ढदृद्रथ्ड्ड ण्ठुथ्ड्ड डड्ढड्ढद ढड्ढड्ढथ्त्दढ़ द्यण्ड्ड ठ्ठुढ़दृदन्र ड्ढध्ड्ढद द्यदृड्ढठ्ठन्र. च्रण्ड्डन्र ड्ढुदृ ददृद्य ध्रुठ्ठुदद्य द्यदृ ड्ढुत्मड्ढद्रद्मद्मा त्द्य. च्रण्ड्डन्र ऋद्मद्य ध्रुठ्ठुदद्य द्यदृ द्रद्वद्मण त्द्य... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म) क्ष ठ्ठुथ्र द्मदृद्धद्धन्र. च्रण्त्द्म त्द्म ध्रुद्धद्धन्र डठ्ठुड्ड. च्रण्ड्ड त्त्दृद्वद्मड्ड ध्रुठ्ठुद्म ड्ढुन्द्यड्ढदड्ढड्ड दृदथ्र ढदृद्ध ड्ढुत्मड़द्वद्मद्मात्दढ़ द्यण्ड्ड ख्ठ्ठुन्द क्दृथ्र्त्द्मद्मात्दृद डड्ढद्रदृद्धद्य... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म) ग्ठुदन्र दृढ द्यण्ड्ड ग्ड्ढथ्डड्ढुद्धद्म ठ्ठुद्धड्ड दृडन्ड्ढड़द्यात्दढ़ द्यदृ द्यण्ठ्ठुद्य...
(क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म)

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः घ्द्धदृढ. ख़्द्धद्धत्ड्ढद, द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ड द्वदड्ढड्ढुद्धद्मद्यद्यठ्ठुदड्ड.

... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म)

घ्डग्फ्र घ.ग्ड. ख़्छ्ठडक्ष्क्ष : च्त्द्ध, ठ्ठुद्य थ्ड्ढठ्ठद्मद्य, ठ्ठुद्य ३ द्र.१. द्यण्ड्ड त्त्दृद्वद्मड्ड द्मण्दृद्वथ्ड्ड द्यठ्ठुत्ड्ड द्वद्र द्यण्ड्ड ख्ठ्ठुन्द क्दृथ्र्त्द्मद्मात्दृद डड्ढद्रदृद्धद्य.

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः घ्ड्ढठ्ठुद्मड्ड द्वदड्ढड्ढुद्धद्मद्यठ्ठुदड्ड. ज़्ड्ड ध्रथ्थ द्यठ्ठुत्ड्ड द्वद्र द्यण्ड्ड ड्ढुत्मड़द्वद्मद्मात्दृद दृद च्क/च्क्र ठ्ठुद्य २ द्र.१. ठ्ठुदड्ड ठ्ठुद्य ४ द्र.१. ध्रुड्ड ध्रथ्थ द्यठ्ठुत्ड्ड द्वद्र द्यण्ड्ड ख्ठ्ठुन्द क्दृथ्र्त्द्मद्मात्दृद डड्ढद्रदृद्धद्य.

घ्डग्फ्र घ.ग्ड. ख़्छ्ठडक्ष्क्ष : च्त्द्ध, त्द्य द्मण्दृद्वथ्ड्ड डड्ड द्यठ्ठुत्ड्ड द्वद्र ठ्ठुद्य ३ द्र.१... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म)

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः च्रण्ड्ड द्धद्वथ्दढ़ डन्र द्यण्ड्ड क्ण्ठ्ठुत्द्ध त्द्म द्यण्ठ्ठुद्य त्ढ द्यण्ड्ड त्त्दृद्वद्मड्ड ठ्ठुढ़द्धड्डड्ढुद्मद्म, ध्रुड्ड ध्रथ्थ द्यठ्ठुत्ड्ड द्वद्र द्यण्ड्ड ड्ढुत्मड़द्वद्मद्मात्दृद दृद च्क/च्क्र्म ठ्ठुद्य २ द्र.१. ठ्ठुदड्ड ठ्ठुद्य ४ द्र.१. ध्रुड्ड ध्रथ्थ द्यठ्ठुत्ड्ड द्वद्र द्यण्ड्ड ख्ठ्ठुन्द क्दृथ्र्त्द्मद्मात्दृद डड्ढद्रदृद्धद्य.

घ्डग्फ्र च्यह्लक्हक्ष्क्ष्क्षः च्यङ्ग (एत्यह्लक्हह्लछ्यक्ष्क्ष्क्षः): च्त्द्ध, क्ष ठ्ठुथ्र दृद ठ्ठु द्रदृत्दद्य दृढ दृद्धड्डड्ढुद्ध.

च्रण्ड्ड ड्ढुत्मड़द्वद्मद्मात्दृद दृद द्यण्ड्ड द्रद्धदृडथ्ड्ढथ्द्म दृढ च्ड़ण्ड्ड्ढुद्वथ्ड्ढुड्ड क्ठ्ठुद्मद्यद्मड्ढद्म ठ्ठुदड्ड च्ड़ण्ड्ड्ढुद्वथ्ड्ढुड्ड च्द्धत्डड्ढद्म ण्ठ्ठुद्म द्यदृ डड्ढ ड़दृथ्द्रथ्ड्ढद्यड्ढुड्ड.

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः क्ष ठ्ठुथ्र द्यद्धत्रदढ़ द्यदृ ड़दृथ्द्रथ्ड्ढद्यड्ढ त्द्य डद्वद्य त्रूद्व ठ्ठुद्धड्ढ ददृद्य ठ्ठुथ्थ्दृथ्त्दढ़ ध्रुड्ढ द्यदृ ड़दृथ्द्रथ्ड्ढद्यड्ढ त्द्य. ज़्ण्ठ्ठुद्य त्द्म द्यण्त्द्म ड्ढुध्ड्ढद्धन्र द्यत्ध्रुड्ढ?

... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म)

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः क्ष्द्य त्द्म ठ्ठुद्य ढदृद्वद्ध 'दृ ड़थ्दृड़त्त.

घ्डग्फ्र घ.ग्ड. ख़्छ्ठडक्ष्क्ष :क्ष्द्य ध्रथ्थ ददृद्य डड्ड ढद्वद्धद्यण्ड्ड्ढ ड्ढुन्द्यड्ढदड्ढड्ड.

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः ज्ञदृद्व त्त्दद्दृ ड्ढुध्ड्ढद्धन्द्रद्यण्त्दढ़. च्द्यात्थ त्रूद्व ठ्ठुद्धड्ड ठ्ठुद्मत्त्दढ़.

... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म)

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः च्रण्ड्ड क्ण्ठ्ठुत्द्ध त्द्म ददृद्य द्याठ्ठुन्त्रदढ़ द्यण्त्द्म. ज़्ड्ड ण्ठुध्ड्ड द्यदृ ठ्ठुड्ढद्मद्यद्य द्यण्ड्ड द्यत्ध्रुड्ड ठ्ठुथ्द्मदृ.

... (क्ष्दद्यड्ढुद्धद्धद्वद्रद्रद्यात्दृदद्म)

ग्ड. च्यक्नाह्लक्हः त्रथ्थ द्धत्ढ़ण्द्य.

">

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई से बंग्लाभाषियों को बंगलादेशी समझ कर बाहर निकाला जा रहा है जो कि बहुत गम्भीर और मानवीय अधिकारों से जुड़ा मामला है। मैं सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मानवीय भावना, मानवीय सम्बन्ध से जुड़ी समस्या के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि इसे सदन बहुत गम्भीरता से ले। अभी ट्रेजरी बैंचिज के साथियों ने बंग्लाभाषियों के डीपोर्टेशन का समर्थन करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन और हनन किया है । उनके साथ जैसा अमानुषिक व्यवहार हुआ, उसे कहने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है।

आज ८० हजार बंग्लाभाषी देश के कोने-कोने में रहते हैं। वे मुम्बई में रहते हैं। महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग भी देश के सभी राज्यों में रहते हैं। यह देश सभी का है। यह किसी की जागीर, जायदाद और प्राइवेट प्रापर्टी नहीं है - चाहे मुम्बई हो, कलकत्ता हो, नागपुर हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां देश का कोई भी आदमी रोजी-रोटी कमाने के लिए जाता है तो उसे इज्जत, शान और सम्मान के साथ रोटी कमाने का अधिकार मिलना चाहिए। मुम्बई में बंग्लाभाषी के नाम पर बंगला मुसलमानों के साथ जिस प्रकार का दुर्वयवहार किया गया, उसका हमें बहुत दुख है।

अध्यक्ष महोदय, जब बंगलादेश का निर्माण हुआ था और उसकी लड़ाई चल रही थी, उस समय बंगलादेश से हजारों-लाखों लोग हमारे देश में आए थे। हमारे देश की भूमि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि है। यह महान पुरुषों की भूमि रही है। हम सर्व समावेशक भूमिका रखते हैं। हम सब को अपने में समा लेते हैं। तिब्बत और बंगलादेश से हमारे भाई आए। हमने उनको सीने से लगाया। जो दुखी आदमी हमारे देश में आया, हमने उनको साथ ले लिया। यह केवल मुम्बई का मामला नहीं है। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं, उसमें भंडारा जिला आता है। उसमें बंगलादेश से आए हिन्दू भाइयों का रिसैटलमैंट कैम्प बना है। बोठन गांव, गौर नगर, अरुण नगर, गढ़ चिरौली, और चन्द्रपुर में बंगलादेश से आए हिन्दू भाइयों का रिसैटलमैंट कैम्प है। यहां भी राजनीति लाई जा रही है। वे वहां २० बरस

से रह रहे हैं। उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उन्होंने दो-तीन चुनावों में वोट भी डाला है। वे ग्राम पंचायत के मैम्बर हैं, सरपंच हैं। उनको सरकार ने जमीन दी। वे वहां खेती कर रहे हैं। जो इनके विधायकों और एम.पीज. को मानने वाले लोग होते हैं, उनको वहां रखा जाता है। जो इनकी राजनीतिक विचारधारा के नहीं होते, ऐसे लोगों को डीपोर्ट करने के नोटिस दिए गए। यह बहुत गम्भीर मामला है। बी.जे.पी. की विचारधारा को मानने वाले लोगों को डीपोर्ट नहीं किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के मानने वाले लोगों को बंगालादेशी कह कर डीपोर्ट करने के और निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं।

यहां पर बंगलादेशियों और बंगलाभाषियों की ज़िन्दगी और मौत का सवाल है ... (व्यवधान).. आपने मज़ाक बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे बंगलादेशी और बंगलाभाषी भाइयों को अमानुषिक तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बंगला देश की प्र धानमंत्री कह रही हैं कि वे अंदर नहीं आने देगी और आप कह रहे हैं कि हम उनको बाहर भगा देंगे। मैं आपके सामने इस मानवाधिकार की बात को रखना चाह रहा हूं कि यदि केवल नियम के तहत, विदेशी नागरिकों के तहत इन्हें पांव तले रौंदने की कोशिश की गई तो वह हमारे देश की शान के खिलाफ होगा। इसलिये मेरी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस विषय को मानवीय दृष्टिकोण से देंखा जाये और जो गलत रवैया अपनाया गया, उसको दुरुस्त किया जाये। वह सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो या कोई और हो, इस पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। यहां श्री सरपोतदार जी और श्री रावले जी बैठे हुये हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मानवाधिकारों को पांव तले कुचलने की चेष्टा की जा रही है। उन पर जुल्म या अत्याचार मुसलमान होने के नाते किया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें । उधर से हमारे एक साथी ने कहा था कि उस समय आप क्या कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का सवाल आता है तो उनका जवाब बंदूक की गोली से दिया जाता है। जब अयोध्या कांड हुआ था तब आपकी बंदूकें और पुलिस कहां गई थी? इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब जगह आतंकवाद फैला हुआ है यानी हिन्दू आतंकवाद के नाम पर बंगलाभाषियों को सताया जा रहा है और मुसलमानों को सताया जा रहा है। उस पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी होगी। इस पर रोक लगाई जाये, यही मेरी मांग है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, अभी माननीय गृह मंत्री जी राज्य सभा में हैल्ड-अप हैं। वे यहां आते ही होंगे क्योंकि वे वहां पर डिप्टी चेयरमैन के आदेश से जवाब दे रहे हैं। आज राज्यसभा का लास्ट डे है, इसलिये मैम्बर्स की सैलेरी से संबंधित बिल पेश करने की मुझे अनुमति दी जाये। मेरा निवेदन है कि आप रूल वेव करके यह बिल पेश करने की अनुमति दें।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष जी, श्री कवाडे ने हमारी सरकार के ऊपर जो इलज़ाम लगाया है, उसका हमें जवाब देना है।

श्री मदन लाल खुरानाः इसके बाद वे जवाब देंगे।

अध्यक्ष जी, इस बिल की अंग्रेजी की कापियां आ गई हैं, थोड़ी देर में हिन्दी की कापियां आने वाली हैं। आप नियम को वेव करके इस बिल को पेश करने की अनुमति दें।

">

MR. SPEAKER: Secretary-General and others are examining it. We will take it up after another five or ten minutes.

">

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जनाब स्पीकर साहब, आज इस इवान में बहुत ही नाज़ुक और अहम मसले पर ग़ौर किया जा रहा है।

MR. SPEAKER: I have called Shri Banatwalla. Shri Ramdas Athawale, this is too much. You are disturbing the House. You must know the procedure and rules also. Unnecessarily you are disturbing the House every time. This is too much.

श्री जी.एम. बनातवाला : जनाब स्पीकर साहब, इस मामले पर मैंने भी नोटिस दिया था। मैं आपका शुक़िया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस इवान के सामने अ पनी बात रखने की इज़ाजत दी है।

मैं इस ईवान से गुजारिश करूंगा कि हम पार्टी की सतह से कुछ ऊपर उठकर इस अहम् मसले पर गौर करें। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि बंगलादेशी के बहाने लोगों को सताया जा रहा है। यह कहना कि सताया जा रहा है, बहुत ही मामूली लफ्ज़ है, कहना तो यह चाहिए कि बंगलादेशी के बहाने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने जो रवैया अख्तियार कर रखा है, उसका कोई कानूनी जबाज नहीं है, उसका कोई इख्लाकी जबाज नहीं है, उसका कोई इंसानी जबाज नहीं है।

१३.२६ ण्ड्ढउद्धद्म. (च्ण्द्धत डठ्ठढ़ण्द्वध्ठ्ठदद्मण घ्द्धठ्ठद्मठ्ठड्ड च्त्दढ़ण त्द द्यण्ड्ढ क्ण्ठ्ठत्द्ध)

यह अथॉरिटी और हक पुलिस को कहां पहुंच गया कि बेतहाशा पिटाई की जाए। मैं आपके सामने बात को ज्यादा तूल न दिलाने के लिए एक रिपोर्ट पर तवज्जह दिलाता हूं, जो रिप्रजेन्टेटिव रिपोर्ट है। मुम्बई के अखबार 'इंकलाब' के १ अगस्त,१९९८ के शुमारे के अंदर यह रिपोर्ट इस उन्वान के तहत है। उन्होंने ट्रेन में सबकी

पिटाई की और रुपये छीन लिये। 'पुलिस टीम की ज्यादती और जुल्म की लरजाखेज दास्तान, बंगालियों की जुबान'। इस रिपोर्ट के तहत खुद जिन लोगों की पिटाई हुई और पुलिस ने उन पर जो जुल्म और सितम ढाया है, जरा उसके ऊपर गौर किया जाए। उनकी जुबानी यह रिपोर्ट आती है, वह मैं पेश कर रहा हूं। वे लोग चूंकि उन पर कयामत टूटी है, कह रहे हैं -

'हमारे साथ जईफ जवान औरतें बच्चों समेत, हम सब ६० से ७० अफरात थे। वह ट्रेन जो हावड़ा जा रही थी, उसमें हमें ठूंस दिया गया। जैसे ही ट्रेन चली, पुलिस ने हमें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे पास रखा तमाम रूपया ले लिया और कल्याण उतर गये। तीन दिन के सफर में हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। जैसे ही हावड़ा स्टेशन आया, उन्होंने मालदा की ट्रेन में बैठाया और अब ट्रेन चली तो मर्दों के साथ औरतों को भी पीटा गया और औरतों के हाथ खिड़की से बांध दिये गये। हत्ता औरतों को टायलेट में ले जाकर उनके साथ गलत काम किया गया।'

यह एक हकीकत है इस जुल्म और सितम को बंद होना होगा। यहां अगर कोई बंगलादेशी करार भी दिया जाता है, डीपोर्टेशन का अगर तरीका शुरू भी हो जाता है तो यह जुल्म, यह ज्यादती क्या इसी का नाम रूल ऑफ लॉ है?

मिस्टर चेयरमैन सर, यह हमारे देश और हमारी जम्हूरियत के ऊपर एक स्याह कलंक का टीका बनकर हमारे सामने मौजूद है। मैं इस अखबार से आगे कोट करता हूं- इस पूरे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यह कि हिन्दुस्तान से ही नहीं बंगलादेश की सरहद पर जब उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो बंगलादेश राइफल्स पुलिस के जवान उनको कहते हैं कि यदि तुम बंगलादेश की सीमा में घुसे, तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या अखबार इस प्रकार से सदन में पढ़ा जा सकता है?

सभापति महोदय : दैनिक समाचार पत्र का रैफरेंस दिया जा सकता है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। हमने अपनी रूलिंग दे दी। आप क्यों खड़े हो गए। बैठिए। शांति-शांति।

श्री जी.एम. बनातवाला : मिस्टर चेयरमैन सर, मैं खुद मुम्बई का हूं और उन लोगों से भी मेरी वाकफियत है, उन लोगों से भी मेरी मुलाकात है। मैं भी मुम्बई से ही आया हूं। मैं जो बात यहां पर कहना चाहता हूं वह यह है कि बंगलादेशी का हौवा खड़ा कर के मुहिम को तेज करने का काम हो रहा है। सबसे पहले मैं इस ऐवान में १९७७ में आया। उस समय जनता पार्टी की हुकूमत थी। जनाब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यह कहां का तरीका है कि है लोगों को ले जाकर बार्डर के पास जंगलात में धकेल दिया जाए और बंगलादेश राइफल्स पुलिस यह कहे कि तुम अंदर नहीं घुस सकते और हम यह कहें कि तुम इस देश में नहीं रह सकते। इस प्रकार से इन लोगों का जीना दूभर बना दिया है। इसका कोई तरीक होना चाहिए। बंगलादेश सरकार से बात कर के, मामलात तय कर के कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर किसी को बंगलादेशी साबित भी कर दिया गया हो, तो फिर डिपोर्टेशन का तरीका क्या होगा, यह उस हुकूमत के साथ तय करना होगा। हमारे देश के अंदर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ देशों के लोग आकर बस गए हैं, लेकिन कयामत टूटती है, तो इन लोगों के ऊपर टूटती है और इनको कहते हैं कि बंगलादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं। मैंने यहां इस हाउस में पिछली लोक सभा में यह सवाल किया था कि विदेशियों को डिपोर्टेशन करनें के बारे में हुकूमत ने क्या किया और क्या उन कंट्रीज के साथ कोई बात करके कोई मैथौड तय किया है? जवाब आया कि 'नहीं' यह हाल है। इन जुल्म और सितम के मारे हुए लोगों के ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जुह नहीं दी जाती है। देश के कानून की धज्जियां उड़ी दी गईं। अब राशन कार्ड प्रूफ नहीं माना जाता है। वे कहते हैं यह बिकाऊ चीज है। किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं मानते। इलैक्टोरल रोल्स में एंट्रीज तक को प्रूफ नहीं मानते। मुम्बई के अंदर इलैक्टोरल रोल्स में नाम मौजूद है, लेकिन मुम्बई थाने की तरफ से नोटिस भेजे जाते हैं कि थाने में आओ और अपनी शहरीयत का प्रूफ दो।

... (व्यवधान)

चेयरमैन सर, इनमें सुनने का माद्दा और ताकत नहीं है। इसीलिए ये मेरी तकरीर के दौरान मदाखलत किए जा रहे हैं। इलैक्टोरल रोल्स में नाम मौजूद है, फिर भी हजारों लोगों को पुलिस की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं कि थाने में आओ और अपनी शहरीयत का प्रूफ दो। इलैक्टोरल रोल्स को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और नोटिस कैसे-कैसे लोगों को भेजे जा रहे हैं वह भी सुन लीजिए जो आदमी सालोंसाल से म्युनिसिपल कौंसलर रहा, जो सालोंसाल तक हज कमेटी का चेयरमैन रहा और जिनको नोटिस आए हैं उनमें ऐसे भी शख्स हैं जो महाराष्ट्र असेंबली का मैम्बर रहा है। उनको नोटिस आता है कि थाने में आओ और अपनी शहरीयत का सुबूत दो। यह क्या तरीका है। यहां पर कोई तरीका अख्तियार नहीं किया जा रहा है।

रात का खटका हुआ और देखा कि उसे मारते पीटते ले जा रहे हैं। यह तरीका नहीं है। मैं यहां पर बंगलादेशियों की वकालत के लिए या किसी विदेशी की वकालत के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक काम होना चाहिए और जो गलत तरीका-ए-कार इख्तियार किया गया है, जो जुल्म व सितम ढहाया जा रहा है, उस को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। आज इन हालात में जरूरत इस बात की है। मैंने बड़े गौर से माननीय श्री पांजा जी को सुना। उनकी हर बात से मालूम होता था कि वह जानते हैं कि गलतियां हुई हैं, गलत तरीके-ए-इख्तियार किये गये हैं लेकिन सिर्फ उन्हें लोकल, टेक्नीकल गलतियां कह दी गईं। लोकल पुलिस स्टेशन पर कुछ शिकायतें हैं, इस तरह कहकर उन्होंने गवर्नमैंट को माफ करने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यह है कि यह ऐवान खामोश तमाशाई नहीं रह सकता।

मैं दो-तीन सजेशन्स देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। पहला सजेशन, मरकज़ी हुकूमत को इस बात का होना चाहिए कि साफ वाजेह तौर पर गाइडलाइन्स हो। स्टेटस को जो हक दिया गया है कि वह खुद डिपोर्टेशन की कार्यवाही करे, ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं हो और यह काम बरा-ए-रास्त मरकज अपने हाथों में लेकर इस पर तवज्जो दे। आज हद तो यह है कि हिन्दुस्तान के कांस्टीटयूशन में बुनियादी हकूक के अंदर शहरियत का हकूक शामिल ही नहीं है। हम यह तो कहते हैं कि

'राइट टू लिव' बुनियादी हक है लेकिन सिटीजनशिप आज फंडामेंटल राइट के रूप में मौजूद नहीं है। इसको भी हमें तसलीम करते हुए जो फॉरनेर एक्ट वगैरह के कवानीन हैं, उनमें तब्दलियां लानी पड़ेंगी।

साहब, अगर हम एदाद-व-शुमार देखें, तो हम कहते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर बॉर्डर स्टेट से इनफिलट्रेशन होता है। मैं सिर्फ हवाला देकर मामले को खत्म करूंगा और यहां तमाम एदाद-व-शुमार पेश नहीं करूंगा। एक अनस्टार्ड क्वश्चैन जिसका नम्बर २३७६, डेटिड १७ अगस्त, १९९५ था। उसमें कितने इनफिलट्रेटर्स आईडेंटिफाई हुए, वे दिये गये हैं-जम्मू-कश्मीर में उनकी नम्बर १९९३ में ७७, १९९४ में २६४ और १९९५ में १५४ थी। राजस्थान में १९९३ से १९९५ तक इनफिलट्रेशन की तादाद २०८,१९६,१०७ है। जो मामूली एदाद-व-शुमार इनफिलट्रेशन हैं, वे हमारे इस क्वश्चैन के अन्तर्गत दिये गये हैं। उनकी तादाद घटती हुई राह पर है लेकिन इसके बावजूद एक हौवा खड़ा किया जा रहा है। खासतौर पर बंगलादेश और मुसलमान बंगाली बोलने वालों पर एक जुल्म सितम का फिरका वाराना रंग दे दिया गया है। अगर बंगाली दुबान बोल रहा है और वह मुसलमान है तो फिर एक कयामत है जो तोड़ी जा रही है।

मैं ऐवान से, हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि जज्बात से बुलंद होकर और इंसाफ के नाते गौर किया जाये। कानून सही तौर पर इस्तेमाल हो और जो जुल्म व सितम ढहाया जा रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। इस पर तवज्जो दी जाये।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : सभापति जी, यह मामला रामदास जी की कांस्टीटुऐंसी से जुड़ा हुआ है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से प्रो. जोगिन्दर कवार्डे बोल चुके हैं। आप आसन ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बीच में क्यों खड़े होते हैं। कार्यक्रम में जो भी नाम दर्ज है, मैं उन सबको मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : सभापति जी, यह मामला रामदास जी की कांस्टीटुऐंसी से जुड़ा हुआ है इसलिए आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से प्रो. जोगिन्दर कवार्डे का नाम आया था और वह बोल चुके हैं। क्षेत्र के नाते आपको बोलने का मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप खड़े मत होइए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा करने से मौका नहीं मिलेगा। आपने ध्यान आकृष्ट किया, हम देखेंगे।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा करने से आपका समय समाप्त हो जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

">

श्री तपन सिकदर (दमदम): सभापति महोदय, कल से जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह वास्तव में गंभीर विषय है। आज हमारे सीनियर माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने जिस भावना को प्रकट किया, यदि घुसपैठियों की समस्या इस तरह का रूप धारण नहीं करती तो शायद उस भावना को प्रकट करने की जरूरत नहीं होती।

... (व्यवधान)

महाराष्ट्र की समस्या वास्तव में घुसपैठियों के साथ जुड़ी हुई है और यही मूल समस्या है। ... (व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिति पैदा हुई है, यदि देश का बटवारा नहीं होता तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होती।

... (व्यवधान)

आज सोमनाथ दा ने जिस भावना के साथ सारे वक्तव्य रखे, यदि उस समय हमारे कम्युनिस्ट बंधु देश के बटवारे का समर्थन नहीं करते तो शायद इसकी जरूरत नहीं होती।

... (व्यवधान)

यहां पर बंगलाभाषी और बंगलादेशी के विषय आए।

... (व्यवधान)

SHRI AJAY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, he is totally misleading the House.

श्री तपन सिकदरः जो मीटिंग हुई, उसमें हिन्दू महासभा का नाम लिया। ... (व्यवधान) आज जो पश्चिमी बंगाल भारत में है, यदि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो यह पाकिस्तान या बंगलादेश में चला जाता, यह भी मानकर चलिए। ... (व्यवधान)

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): Sir, it is only the Forward Bloc which protested against it.

श्री तपन सिकदर : मैं कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों की समस्या इतनी गंभीर समस्या है जिसे सभी ने राष्ट्रीय समस्या और ज्वलंत समस्या मान लिया है। ऐसा नहीं है कि इसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना गया है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने माना, राजीव गांधी जी ने माना और बाद में, विलंब होने के बावजूद, बंगाल में ज्योति बाबू ने भी माना कि यह गंभीर समस्या है। इस समस्या के साथ आज जो प्रश्न उठाया गया कि मुम्बई से बंगला भाषियों को भगाया जा रहा है, यह बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां से मुस्लिम समुदाय को भगाया जा रहा है क्योंकि वे मुस्लिम बंगला भाषी हैं, यह भी ठीक नहीं है। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बंगला भाषी के नाम पर, चाहे वह मुसलमान हो या हिन्दु हो, यदि वह भारतीय नागरिक है तो उसे देश से किसी भी तरह नहीं भगाया जाएगा।

उसके बारे में अगर कोई भी कदम उठाएगा तो मैं भी उसके खिलाफ बोलूंगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आप मंत्री हैं क्या? फिर आप विश्वास कैसे दिला रहे हैं?

... (व्यवधान)

सभापति महोदय :आप सुनिये। आपको जवाब नहीं देना है। आप आसन की तरफ देखिये।

श्री तपन सिकदर (दमदम): मैंने पार्टी की बात बताई। मैंने सरकार की बात नहीं बताई। मैं बता रहा था कि यह समस्या कैसे पैदा हुई, यह हमारी बात नहीं है, इस समस्या ने कैसे गम्भीर रूप धारण किया है। माननीय पी.एम. सईद जी अभी सदन में हैं, उनसे सदन में प्रश्न पूछा गया था, उनका जो आंसर था, उसमें से उनका एक ऑब्जर्वेशन मैं पढ़कर सुना देता हूं, उन्होंने क्या बतायाः

"(1) Muslim population in India increased by 32.76 per cent as against the national average of 23.79 per cent. Whereas, Hindus growth rate was 22.78 per cent only.

(2) The large scale infiltration of Bangladeshi nationals is one of the factors responsible for growth of Muslim population in West Bengal and other border areas."

मैं आपको बता रहा हूं कि वैस्ट बंगाल में हिन्दुओं की एक दशक में जो आबादी बढ़ी है, वह २१.५ परसेंट है और जहां पर मुस्लिम पोपुलेशन की संख्या ३८ परसेंट बढ़ी है। यह जो इन्क्रीज़ है, यह इन्क्रीज सारे देश में जो स्थिति पैदा हो गई ... (व्यवधान) सुनिये-सुनिये। यह बी.जे.पी. के नहीं, यह संसद में दिये गये आंकड़े हैं। आप यह सुनने का कष्ट करें। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन देखिये।

"(3) There has been a continuous influx of Bangladeshi nationals into India for a variety of reasons including religious and economic considerations.

(4) The demographic composition in the border areas has been altered with new migrants flooding the area and the local migrants into the interiors."

अर्थात सीमा पर रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, वे डर के मारे अन्दर जा रहे हैं और बंगलादेशी मुस्लिम आकर के सीमा पर भारी मात्रा में बैठ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इस विषय में अपनी वैस्ट बंगाल सरकार ने क्या किया? आज ८० हजार का हिसाब आया, लेकिन बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी लम्बी सीमा है। मैं १९९१ के बाद की बात बता रहा हूं।

तीसरे, अब यह मानकर चलना चाहिए कि इसके पहले राशन कार्ड की बात आई कि अपनी नागरिकता के प्रमाण के लिए राशन कार्ड की बात आई। राशन कार्ड के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। गार्डन रीच एक स्थान है। गार्डन रीच में आज से चार साल पहले २.९२ लाख पोपुलेशन थी, लेकिन गार्डन रीच में ३.९८ लाख राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। राशन कार्ड किसके दिये गये? ये हजारों राशन कार्ड वाम फ्रण्ट के एक मिनिस्टर ने बंगलादेशियों को दिये। मैं प्रमाण दे सकता हूं, मैं जिम्मेदारी लेकर आपके सामने बता रहा हूं। मालदा के एक भूतपूर्व विधायक, सी.पी.एम. के विधायक और कांग्रेस के सभाधिपति, दोनों ने मिलकर ऐसे तीन-चार लोगों को प्रमाण-पत्र दिया कि हम तीन, चार, पांच साल से इसको जानते हैं। लेकिन वे आदमी कई मामलों में पुलिस के हाथों में पकड़े गये। जब उसको कोर्ट में ले जाया गया, तब देखा गया कि केवल तीन महीने पहले वह भारत में आया है, वह बोला और

... (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): तीन महीने का साबित कैसे हुआ?

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : बीच में खड़े नहीं होना है। नहीं, सवाल-जवाब नहीं करना है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कन्क्लूड किया जाये। अब समाप्त किया जाये।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब इसमें सवाल-जवाब नहीं होगा। कृपा कर आसन ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

श्री तपन सिकदर : बी.एस.एफ. ने बताया है कि उन्होंने १९८४ में २९६१ हिन्दू पकड़े और ६३८७ मुस्लिम पकड़े, १९८५ में २११७ हिन्दू पकड़े और ८६९८ मुस्लिम पकड़े, १९८६ में ७१६० हिन्दू पकड़े और १५३०० मुस्लिम पकड़े और १९८७ में ७०७७ हिन्दू पकड़े और १७९५९ मुस्लिम पकड़े।

13.51 hrs. (MR. SPEAKER IN THE CHAIR)

यह जो संख्या है, आप देखें कि कुल मिलाकर बंगला देश से पश्चिम बंगाल में ८० लाख मुसलमान आए। हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। एक हिन्दू या भारतीय मुसलमान को हम देश से भगाने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन आज जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, वह बहुत गम्भीर है। वैस्ट बंगाल में इन्होंने ऐसे घुसपैठिओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी प्रमाणिकता की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

">14.24 hrs.

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। इस देश में घुसपैठियों और बंगलादेशियों के नाम पर हालात बराबर खराब होते रहे हैं। उन परिस्थितियों ने इस देश के वातावरण को बिगाड़ने का काम किया है। माननीय आडवाणी जी को याद होगा कि पूर्व की सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में फार्नर्स घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें कैसे उनके देश या सरकार को वापस भेजा जाये, इस पर काफी काफी चर्चा की गई थी। इस देश में जनभावनाओं और जनमानस को उद्वेलित करने के लिये ऐसी बात कही जाती रही है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिय जिलों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी युवा विद्यार्थी परिषद बंगलादेशी घुसपैठियों के नाम पर वातावरण बिगाड़ने का काम करते रहे हैं। वे लोग हमेशा आन्दोलन और बयानबाज़ी करते रहे हैं। यहां तक कि इलैक्शन कमिश्नर श्री टी.एन.सैषन भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। श्री सैषन देशभर में पालिटिकल पार्टीज़....

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इलैक्शन कमिश्नर का यहां क्रिटिसिज्म करना उचित नहीं है।

आइडेन्टिटी कार्ड की पहचान करने, राज्यों को इंगित करने और कम्युनल हेटरेड फैलाने का काम विगत दिनों होता रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब पाकिस्तान से बंगलादेश अलग हुआ था

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, आज आपने ही रूलिंग दी है कि दो बजे शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स पर डिस्कशन शुरू हो जायेगा। आपकी रूलिंग का क्या मतलब है। अगर ऐसे पार्लियामेंट चलेगी तो हम क्या करेंगे।

Sir, you have taken the consensus of the House and then only, you gave the ruling. In spite of that, this is going on now. We protest against this. Otherwise, we will boycott. Shri Ram Vilas Paswan who wanted the discussion to be taken up on the very first day, is now keeping quiet.

SHRI RAM VILAS PASWAN (HAJIPUR): I am not keeping quiet. I am only abiding by the decision of the Chair. The Chair told that it would be taken up at 11 o'clock initially; then the Chair told that it would be taken up at 12 o'clock, and later on, the Chair told that it would be taken up at 2 o'clock. Now, I do not know when it would be taken up. So, you cannot say that we are not serious about this issue.

श्री लालू प्रसाद : सर, मैं समाप्त करता हूं।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी पार्टी नहीं बोलेगी?

... (व्यवधान)

यह क्या तरीका है। आपको कौन मना करता है, आप बोलिये

... (व्यवधान)

हम बोलेंगे।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी को याद होगा कि १९७१ में बिहार के चंदबारा, सीरीपुर, हजारीबाग और गोपालगंज में बंगलादेश से आने वाले शरणार्थियों के लिए कैम्प बनाये गये थे। बंगलादेश से वहां शरणार्थी, गरीब लोग आये थे।

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, टाइम नहीं है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : उस समय जो बंगलादेशी आये थे, उनके शादी-ब्याह हुए और यहां की जनसंख्या में इजाफा हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर वे यहां हैं। बंगलादेश की सरकार ने कहा कि ये हमारे नागरिक नहीं हैं। ये गरीब लोग हैं, कोई लुंगी में है, कोई गंजी में है और वे बंगला भाषा बोलते है। इनके विरुद्ध महाराष्ट्र में शिवसेना के द्वारा साजिश हो रही है। शिवसेना कोई पार्टी नहीं है, वह सेना है। पार्टी यहां बैठी हुई है, ये पार्टी के लोग हैं।

... (व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सेना ही देश को बचायेगी, सेना ही देश की रक्षा करेगी।

श्री लालू प्रसाद : वहां बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम बिहारी और उत्तर प्रदेश के गरीब लोग मजदूरी आदि करने के लिए गये थे, जो वहां झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर रहते थे, परंतु अब उन्हें वहां से उजाड़ा जा रहा है। मुस्लिम लोगों के साथ जो हिंदू गरीब मजदूर लोग मुम्बई गये हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनमें से कोई टाइल्स की फैक्टरी में काम करने वाला है, कोई पान बेचने वाला है, कोई दूध बेचने वाला है, कोई शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स का आदमी है, कोई चाट बेचने वाला है, ऐसे लोगों को एक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर वहां से निकाला जा रहा है। उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि खुराना जी ने साजिश करके यहां ५० लाख बिहार के गरीबों, मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाने दिया, यह साजिश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है। इस देश के अंदर बंगलादेशी भाषा-भाषी भाइयों और बहनों के विरुद्ध हेटरेड फैलाई जा रही है, ये लोग बंगाली मूल के हैं। इनके और बिहार के मजदूरों के खिलाफ देश के अंदर अशांति फैलाई जा रही है। इसके साथ ही मैं बैठ जाता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, लेकिन समय अधिक नहीं है। मुझे लोग बोलने नहीं देते। हम लोग डेकोरम का पालन कर रहे हैं। ये लोग डेकोरम का पालन नहीं करना चाहते। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक साजिश है। अपने वोटों को ठीक करने के लिए ये गरीब लोगों को बंगलादेशी के नाम पर हटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे रोका जाए। यह पाठ तपनदास और ज्योति बाबू पढ़ा रहे हैं। बंगला देश और कलकत्ता दोनों के बाजारों में हजारों आदमी इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आ रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि उन्हें भेड़-बकरी की तरह हांका जाए। इसलिए आप अपने अंदर संयम लाइये।

ये सब धंधे और लड़ाई बंद करिए। यदि पहचान हो जाती है, तो उस देश को लिखिए और उनको इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, जिस देश के वे हैं, उसको हैंड ओवर करिए। अगर वह देश कहे कि हमारे आदमी नहीं हैं, तो क्या आप उनको समुद्र में धकेलेंगे। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: There is no time.

श्री लालू प्रसाद : अब जब आप हमें नहीं बोलने दे रहे हैं, तो हम बैठ ही जाते हैं।

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, the Home Minister is here. Eighteen people have been killed in Punch this morning. Is it a fact? We have just had the information that 18 people have been killed in Punch today morning. Is it a fact that 35 people were killed yesterday, and 18 people were killed this morning?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): The information that we have received is that 18 relatives of a surrendered militant named Imtiaz have been shot down by a single unidentified gunman. This is the brief message that I have received. It may be an internal affair. I do not know. We are trying to get the full facts. But these are the relatives of a former militant by name Imtiaz. This is the information which I have with me.

MR. SPEAKER: Now, the hon. Home Minister may give his reply for the discussion.

... (Interruptions)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, हमने भी इस पर बोलने के लिए अपना नाम दिया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने भी अपना नाम दिया है। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Your party has already participated in the discussion. Please understand this, Shri Mohan Singh. Please cooperate with the Chair.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: How can I complete the business then? Two hours had been allotted for this discussion but Members have taken seven hours on the same subject.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : सर, यह गलत बात है। हमारी भी पार्टी है और हमारी पार्टी का भी टाइम है। मेरा आग्रह है कि श्री मोहन सिंह जी को दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।

MR. SPEAKER: Please understand, Shri Mohan Singh. I am appealing to you. Please take your seat. Actually, two hours had been allotted.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है।

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh, please cooperate with the Chair this time. Shri Fatmi, I am appealing to you to please cooperate with the Chair. We had allotted two hours for this discussion but the Members have taken seven hours.

... (Interruptions)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, बंगालीपुरा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, वहां से लोगों को अरैस्ट कर के बंगलादेश भेजा गया है और मुझे ही बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है, यह कैसे चलेगा। मुझे दो मिनट का समय तो दिया जाए।

... (व्यवधान)

14.33 hrs.

(At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on floor near the table of the House)

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Is this the way to conduct yourself in the House? Everytime you are coming to the Well of the House. What is this? This is not good. Are raising slogans and coming to the Well of the House the proper ways to conduct yourself in the House?

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: All right. Shri Mohan Singh may speak for only two minutes.

... (Interruptions)

14.34 hrs.

(At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Member went back to their seats)

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have allowed Shri Mohan Singh to speak.

... (Interruptions)

14.34 hrs

(At this stage Shri Ramdas Athawale came and stood on floor near the table of the House)

MR. SPEAKER: Shri Athawale, I will take action against you. What is this? Everytime you are disturbing the House. If you do not behave properly, I will take action against you.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Athawale, I am again telling you that if you do not behave properly in the House, I will take action against you. Everytime, you are disturbing the House. This is not good. Please take your seat.

... (Interruptions)

14.34 hrs

(Then Shri Ramdas Athawale left the House)

... (Interruptions)

">

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा मूड अच्छा कर लें। बहुत जद्दोजहद के बात मुझे थोड़ा सा समय बोलने के लिए मिला है। मैं आपका आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुम्बई में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ने कहा था कि हम मुम्बई की सफाई करना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुम्बई की सफाई के नाम, हर एक विशेष भाषा बोलने वाले और विशेष पहनावे वाले नागरिकों को नगर से निकाल कर बाहर किए जाने का कार्य महाराष्ट्र सरकार ने करना आरंभ कर दिया है।

... (व्यवधान)

क्योंकि वहां दुर्भाग्य से एक ऐसी पार्टी की सरकार आ गयी जिसने सन ऑफ दी सॉयल के सिद्धांत के नाम पर जन्म लिया था। जिसका सिद्धांत है कि जो धरती के लाल हैं, उन्हीं को वहां रहने का अधिकार है। जब इस तरह के सिद्धांत की पार्टी वहां सरकार में आई और उसको केन्द्र से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, वे इस बात की लड़ाई लड़ते रहे कि हिन्दुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहां पर आकर रहे। वे इस बात को हमेशा कहते रहे। आज वे ऐसे लोगों को आईडेंटिफाई कर रहे हैं जो इसी देश के रहने वाले हैं। मैं इस बात को अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि १९७१ में जब भारत और बंगला देश का युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पर भारत में रिफ्यूजी आये। हमारे उत्तर प्रदेश में आज जो विवाद चल रहा है और जिसे हम उधम सिंह नगर से जानते हैं, वहां बड़े पैमाने पर बंगला भाषा बोलने वाले लोगों को बसाया गया। वे लोग जब मुम्बई में काम करने के लिए जाते हैं तो उनका धर्म पूछकर, जाति पूछकर, भाषा पूछकर वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। यह भारत की एकता, परम्परा और संविधान के विरूद्ध है। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और गृह मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार ऐसी सरकार को प्रोत्साहित न करें। वे उस पर अपनी नजर रखें और वहां के लोगों को सुरक्षा देने का काम करें। इतनी अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

MR. SPEAKER: Now, Shri Mohan Rawale, for two minutes only.

श्री मोहन रावले : मैं दो मिनट में कैसे बोल सकता हूं।

... (व्यवधान)

बंगला देश का जो निर्माण हुआ।

... (व्यवधान)

१९७२ में जो

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों की पार्टी से इस पर कोई नहीं बोला है क्योंकि इसके बाद एस.सी.,एस.टी. का डिस्कशन लेना है। यदि आप उन्हें एलाऊ करेंगे तो हमें भी बोलने के लिए एलाऊ कीजिए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have called him for only two minutes.

श्री मोहन रावले : १९७२ में जो

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Mohan Rawale, the hon. Minister for Home Affairs is going to reply. Please take your seat.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I will try to be as brief as I can.

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ (बारामूला): इससे पहले मेरा प्रोटेस्ट होना चाहिए। ... (व्यवधान) आपका आदेश है।

... (व्यवधान)

लेकिन मैंने नहीं बोला।

... (व्यवधान)

I am a party here. ... (Interruptions) All parties have spoken. I have not spoken a word. Why? ... (Interruptions)

कोई तो उसूल हो।

... (व्यवधान)

आप एक मिनट दे दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टाइम नहीं है।

... (व्यवधान)

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ (बारामूला): टाइम नहीं रहेगा

... (व्यवधान)

हमें लड़ना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Prof. Soz, you are speaking every time. But again you are telling that your party has not participated.

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : आप कोई कानून बताइये, कोई तरीका बताइये कि आप यहां कैसे डिसीप्लेन रखेंगे।

... (व्यवधान)

आप दो मिनट दे दीजिए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, no; there is no time. Please understand it.

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : आप एक मिनट दे दीजिए।

... (व्यवधान)

आप कोई तो कानून बनाइये।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, no; please take your seat.

प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ : आप एक मिनट दे दीजिए।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is this?

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not good.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Prof. Saifuddin Soz, please resume your seat now.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat first.

... (Interruptions)

">

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः अध्यक्ष जी, कल हन्नान मोल्लाह जी ने जो विषय चर्चा के लिए रखा और जिस पर संभवतः आपने दो घंटे का समय दिया था, उसके बजाए कल भी चार घंटे इस पर चर्चा हुई। आज जो लोग बड़े आग्रह से इस पर बोलने के लिए कह रहे हैं, वे कल उपस्थित नहीं थे।

... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हम उपस्थित थे।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) रात के साढ़े आठ बजे तक हम उपस्थित थे। ... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः जो उपस्थित थे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जो अनुपस्थित थे, उनके लिए कह रहा हूं। इस पर जो चर्चा हुई और उस चर्चा में श्री हन्नान मोल्लाह जी ने जो सवाल उठाये, वे सवाल यह थे कि महाराष्ट्र सरकार ने २०,२१ और २२ तारीख को कुल मिलाकर ९४ लोगों को आईडेंटिफाई करके कि ये बंगलादेशी हैं और उनको डिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया शुरू की।

उसमें हन्नान जी का यह कहना बहुत वज़नदार था कि कोई बंगला भाषी है, इस कारण यदि उसे कोई सरकार बंगलादेशी कहती है तो यह सरासर गलत है। यदि वह बंगला भाषी और अल्पसंख्यक है तो उसे उस आधार पर डिपोर्ट करने की बात करना सरासर गलत है। मैं शत-प्रतिशत उनकी इस बात से सहमत हूं कि हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी निवासी, वह किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में रहने का पूरा अधिकारी है। वह बंगला भाषी हो, तमिल भाषी हो, मराठी भाषी हो या तेलगू भाषी हो, हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में रहने का उसका संवैधानिक अधिकार है जिस संवैधानिक अधिकार को किसी भी सरकार को तोड़ने का अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हिन्दुस्तान बोलिए। नहीं बोलना आता तो भारत बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इन दिनों मुझे वहां के उप-मुख्य मंत्री से मिलने का अवसर मिला। मैंने एक बयान दिया था जिसे देने से पहले महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार से जानकारी की थी। किसी ने सही कहा कि मैंने तो केवल, दोनों से जो जानकारी मिली, उसे एक वक्तव्य के रूप में सदन के सामने रख दिया, उसमें अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा। न कहने का एक कारण था कि मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में चला गया था। इसलिए मैं सोचता था कि यदि कलकत्ता हाई कोर्ट अपना निर्णय दे दे तो शायद उससे कुछ मामला साफ हो जाएगा कि क्या सरकार ने कोई गलती की। मैं आज जिस स्थिति में हूं, उसमें एक तरफ तो मैंने स्वयं वहां के उप-मुख्य मंत्री से पूछताछ की और मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहां से एक शिष्टमंडल, श्री अजीत कुमार पांजा और श्री अकबर अहमद, दोनों मिलकर, शायद उनके साथ तीसरा भी कोई होगा, वहां पर गए जिसका कल उन्होंने विस्तार से वर्णन किया कि मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री और वहां के अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई, उनसे क्या-क्या सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हम जिस सवाल के बारे में उनसे पूछते थे, उसका वे उत्तर देते थे। हमको इस बात का पूरा यकीन हुआ कि पूरे ट्रांसपेरैंट तौर पर उन्होंने कानून का पालन किया।

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ट्रांसपेरैंट तब होता जब ऑल पार्टी डैलीगेशन जाता। ... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किसी को मनाही नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : केन्द्र सरकार को ऑल पार्टी डैलीगेशन भेजना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : केन्द्र सरकार की जवाबदारी यह है कि इस मामले में जो कानून बने हुए हैं, उस प्रक्रिया का पालन होता है या नहीं होता। मैं कह सकता हूं कि उस प्रक्रिया का पालन हुआ है और जो भी निर्णय हुए हैं, वह वहां के मैट्रोपोलीटन मैजिस्ट्रेट की अनुमति से हुए हैं और उसके बाद डिपोर्टेशन आर्डर निकले हैं। इतना ही नहीं, मुझे यह जानकारी मिली कि पश्चिमी बंगाल में, जहां ३८ लोगों को बेल पर रिहा कर दिया गया था, बाद में जब उनमें से कई लोगों ने स्वीकार किया कि हम बंगलादेशी हैं, तो वहां के सैशन जज ने उनकी बेल कैंसल कर दी। यह भी हुआ।

This was in Midnapore. Therefore, at this point of time I do not want to anticipate anything.

मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि यह सरकार इस बात को देखेगी कि कोई भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब को मानने वाला हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसका यह अधिकार कि वह हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में बस सके, उसका अबाध रूप से पालन हो और कोई संविधान का उल्लंघन न करे।

दूसरी बात, मैं मानता हूं यह सोचना कि हिन्दुस्तान में कोई विदेशी नहीं है, यह भ्रम हमको नहीं पालना चाहिए। विदेशी हैं, बड़ी संख्या में हैं और एक करोड़ की बात कोई श्री रावले नहीं कह रहे, हमारे पूर्व गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता ने कहा है कि यहां पर एक करोड़ विदेशी हैं। कानून कहता है कि सरकार का दायित्व है कि यदि कोई विदेशी बिना पासपोर्ट, बिना वीसा के यहां पर आए तो आईडैंटीफाई करके आप उन्हें उनके वहां भेजिए।

मैं मानता हूं कि इतने सालों तक हमने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के बाद इतनी बड़ी संख्या में अगर विदेशी यहां आ गये हैं तो उनको एक साथ डिपोर्ट करना सम्भव नहीं है। उसमें किसी ने इन्फिल्ट्रेटर शब्द प्रयोग किया होगा। मैं समझता हूं कि सही शब्द इल्लीगल इम्मीग्रेंट है।

Maybe some of them are infiltrators, who have deliberately infiltrated.

लेकिन सब के सब इल्लीगल इम्मीग्रेंटस हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इल्लीगल इम्मीग्रेंटस की जो समस्या है, उसके बारे में यह सरकार सोच रही है, विचार कर रही है कि क्या यह सम्भव है कि इन सब इल्लीगल इम्मीग्रेंटस को बंगलादेश वापस भेज दिया जाये। अगर यह सम्भव नहीं है तो चूंकि अधिकांश लोग गरीब हैं, काम-काज के लिए आये हैं, रोजगार के लिए आये हैं तो उसके मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर इस सरकार ने अभी सोचा कि हम जिस समय एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस बनाएंगे और हिन्दुस्तान भर के नागरिकों को एक परिचय-पत्र देंगे, पहचान-पत्र देंगे, आइडेंटीफिकेशन कार्ड देंगे तो उस समय जो नॉन सिटीजंस हैं, वे चाहे इल्लीगल इम्मीग्रेंटस भी हों, उनको भी हम आइडेंटीफाई करेंगे और उनको एक ऐसा पहचान-पत्र देंगे।

MR. SPEAKER: Let him complete first.

श्री लालू प्रसाद : वह पासपोर्ट यहां ले लिया। पुरानी जो सारी नागरिकता मिली है, जो पाकिस्तान से लोग आये थे

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : जो पाकिस्तान से आये थे, जिन्होंने यहां पर जन्म लिया है, वे हकदार हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस पूरी योजना पर विचार करके और उसके बारे में पिछले दिनों में गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी इसकी चर्चा की है और उसके आदार पर इस समस्या के

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Lalu Prasad, there should not be a running commentary when the hon. Minister is giving his reply.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक सही मानवीय हल की व्यवस्था यह सरकार करेगी। इतना ही मुझे अनुरोध करना है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): I would like to seek one very important clarification. I am very sorry. Today, I am very disappointed with the reply which the Minister has given.

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, please.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Kindly give me only a minute.

The Minister has given a clean chit without referring to any of the important points raised in the debate. In my submission, probably more than once, I specifically told that I had asked for a copy of the circular by which the Central Government has delegated its power to the State Government. I had written to the Minister but his Ministry refused to give me a copy of it. Though I had raised it while speaking on the debate, the Minister has not even mentioned about it. This power is only with the Central Government and the State Government only acts as a delegate. I have referred to the judgements of the Supreme Court and the High Court which said if delegation is not legal, there can be no valid order. I have been asking for a copy but till today I have not received one. Even in his reply the Minister has not chosen to refer to my letter or to the notification. It is very unfortunate that the Minister has given a clean chit.

SHRI L.K. ADVANI: I am just being told by Shri Ram Naik that Shri Somnath Chatterjee made a reference to it. I am sorry, I was in the other House. I shall certainly see this letter and then convey to you the exact position. ... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : It was sent on 30th July as an urgent letter.

SHRI L.K. ADVANI: I have not seen it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The Minister should then pull up his office. The Minister is looking after the internal security of this country. The Ministry is under him and he does not get an important letter from the Leader of a Party in the House. Is this the way the Government is functioning? This is a very serious matter. Things have been done in a very casual way. I cannot accept it and in protest I am walking out.

14.48 hrs

(At this stage, Shri Somnath Chatterjee and some other hon. Members left the House.)

श्री मोहन रावले : हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने इसका समर्थन किया है। मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो कहा, उसका ठीक तरह से उत्तर नहीं दिया गया है और यह सच है कि अगर यह सिलसिला चलेगा तो यह आवाज भी उठेगी कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आये हैं, उनका भी विचार करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

14.49 hrs.

(At this stage Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members left the House)

श्री लालू प्रसाद : साहब, बात यह है कि राष्ट्र भर में ये घृणा पैदा कर रहे हैं। हिन्दू मुसलमानों का नाम लेकर, बंगलादेशियों का नाम लेकर राष्ट्र में नफरत फैला रहे हैं, इसलिए हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

14.49 hrs.

(At this stage Shri Lalu Prasad and some other hon. Members left the House)

PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): We are not satisfied with the reply given by the hon. Home Minister. So, we are walking out in protest.

14.49 hrs

(At this stage, Prof. Kurien and some otherhon. Members left the House.)

श्री राम विलास पासवान : मैं भी इसके विरोध में वाकआउट करता हूं।

14.50 hrs.

(At this stage Shri Ram Vilas Paswan left the House)

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Speaker, Sir, a very unsatisfactory reply has come from the Home Minister. None of our points has been replied to. ... (Interruptions) We walk out in protest.

14.50 hrs

(At this stage, Shri G.M. Banatwalla, and some otherhon. Members left the House.)

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (MADURAI): Mr. Speaker, Sir, may I ask if there is a specific time at which the House is going to take up consideration of the Jain Commission Report? ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please take your seat.